हरियाणा विधान सभा

को

कार्यवाही

26 नवम्बर, 1974

खण्ड 4, अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1974

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्र न एंव उत्तर	(1) 1
अतारांकित प्र न एंव उत्तर	(1) 21
अध्यक्ष द्वारा धोशणाएं	(1) 30

सचिव द्वारा घोशणाएं (1) 31

भाोक प्रस्ताव (1) 33

सदन के मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले (1) 42

कागज–पत्र

सदन के मेज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले (1) 43

कागज–पत्र (पुनरारम्भ)

सरकारी संकल्प (1) 44

दी हरियाणा कंटीन्जैसी फंड (अमैंडमैंट) बिल, 1974 (1) 52

दी पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) (1) 60

बिल, 1974

दी हरियाणा पब्लिक बक्फस (ऐक्सट। ान आफ लिमिटे ा) (1) 62

बिल, 1974

दी पंजाब टाउन इम्प्रूमैंट (हरियाणा सैकिन्ड अमैंडमैंट) (1) 70

बिल, 1974

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 26 नवम्बर, 1974

विधान सभा में बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। श्री अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एंव उत्तर

Mr. Speaker : Questions Hour.

Bridge over Jamuna Canal

***964. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for revenue be pleased to state whether thee is any personal under consideration of the Government to construct a bridge on Jamuna river near Karnal for linking the Karnal District and Uttar Pardes; if so, when and the details thereof ?

Revenue Minister (Pandit Chirnji Lal Sharma) : No. The question of given time and details thereof does not arise.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार इसको बनाने के लिए विचार करगी क्योंकि वहां भ्ाुगर मिल भी बन रहा है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, this is an inter State Bridge and concurrence of both the Governments is needed to construct it. The Government of Haryana do feel the there should be a bridge. But for the present there is absolutely no proposal.

चौधरी दलसिंह : क्या मंत्री महोदय फरमायेंगे कि हरियाणा सरकार ने कोई चिट्ठी या मैमोरैन्डम उत्तर प्रदे ा के सामने रखा है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : No, there is no such proposal.

चौधरी ि ाव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताऐंगे कि इस करनाल पुल के बनाने के लिये कोई सर्वे हुआ था ? यदि हा तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Mr. Speaker, Sir, there was no such survey so far as the Bridge at Karnal was concerned. There was a proposal to construct bridges at Palwal, Ballabhgarh/Faridabad, Sonepat and Panipat. the bridge at Panipat has been constructed by the U.P. Government. Regarding the bridge at Palwal, correspondence has been going with the Government of India and I had also met the Minister, Shri Kamalapati Tripathi. Earlier a loan of Rs. one crore had been sanctioned by the Government of India. Now its cost is estimated at Rs. 1.92 crores. It has not yet been finalized. But there is no proposal to construct a bridge at Karnal.

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा सरकार इस पर विचार करेंगी और यू.पी. गवर्नमैंट को लिखेगी ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : Certainly. The Government of Haryana is very keen that there should be as many Bridges as many be possible.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि गवर्नमैंट यह महसूस करती है कि पुल होना चाहिए। क्या वे बतांएगें कि अब तक सरकार ने यू.पी. गवर्नमैंट के साथ पत्र–व्यवहार क्यों नही किया ? क्या गवर्नमैंट यह समझती थी कि वह अपने रिसोर्सिज से ही इस बना लेगी ?

Pandit Chiranji Lal Sharma : As I submitted, Sir, bridges on River Jamuna are inter State bridges/projects and concurrence of both the Government is required for the same. It is for the U.P. government whether it agrees to it or not as the cost is evenly shared by both the Governments.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, सवाल तो मैंने कुछ और ही पुछा था मगर जवाब इन्होंने कुछ और ही दिया है। मेरा सवाल तो यह था कि अगर गवर्नमैंट महसूस करती है कि पुल बनना चाहिए तो अब तक इन्होंने यू.पी. गवर्नमैंट से पत्र–व्यवहार क्यों नही किया ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : स्पीकर साहब, मेरा जवाब बिल्कुल साफ हैं यह बात दुरूस्त है कि गवर्नमैंट यह महसूस

करती है कि जितने ब्रिजीज बन सके, उतने बने। ब्रिजीस का बनना बहुत अच्छी बात हैं जहां पत्र–व्यवहार का संबधं है, उस पत्र–व्यवहार का फायदा ही क्या हैं जिस पत्र–व्यवहार के होने में ही आपत्ति हो।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या सकरार यह समढती है कि इस पुल की जरूरत और इसके बिना लोगों को कठिनाई ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : कोई ऐसी बात नही है। जमुना नदी पर 10–15 मील के फासले पर ब्रिजीज नही हो सकते। यमुनानगर के पुल की आव यकता थी, वहां बन बया हैं पानीपत में बन चुका हैं फिर पलवल में बनाएंगे और उसके बाद बल्लभगढ़ या फरीदाबरद के आस–पास बनाया जाएगा। पहले 90 मील के फासले पर पुल था लैकिन अब काफी नजदीक 40–50 मील पर बन जाएंगे। इसके अलावा कोई और ब्रिज भी बन जाए तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि यू.पी. गवर्नमैंट ऐग्री करती है या नही करती है।

चौधरी दल सिंह : मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि नौन–अवेलेविलिटी ऑफ फंडज की वजह से पुल नहीं बन जाएगा। क्या वे बताएंगे कि फंडस हरियाणा सरकार के पास ही नही है या भारत सरकार के पास भी नही है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : स्पीकर साहब, मैंने अर्ज किया कि फिलहाल एक स्कीम डिस्कस हो चुकी है। उसके अनुसार

चार ब्रिजीज अनने है। एक बन चुका है और तीन बनने है। करनाल में ब्रिज बनाने की फिलहाल कोई स्कीम नही है।

श्री के.एन. गुलाटी : क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि फरीदाबार के पुल की लेटैस्ट पोजी ान क्या है क्योंकि फरीदाबाद कम्प्लैक्स तो काफी पैसा भी देने को तैयार है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : फरीदाबाद की पोजी ान के बारे में स्पीकर साहब अभी थोड़ा देर पहले मैंने अर्ज किया था। फैसला यह हुआ है कि जमुना पर चार ब्रिजीस बनाए जांए। एक बन चुका है। अब नैक्सट प्रायरिटी हरियाणा गवर्नमैंट पलवल को देगी। उसके बाद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के नजदीक एक पुल बनाया जाएगा। एक ब्रिज सोनीपत के पा बनना है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी फरमाया कि अगर पुल बन जाए, तो अच्छी बात हैं क्या वे बताएंगे कि पुल बनेगा कैसे ? इसे कौन बनाएगा क्या अपनी सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी स्कीम है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : जब कभी ब्रिज बनेंगा, सरकार ही बनाएगी चाहे चू.पी. सरकार बनाए या हरियाणा सरकार बनाए या दोनों मिल कर बनाए। जहां तक इस सरकार के विचाराधीर कोई स्कीम होने का संबंध है, मै पहले भी बता चुका हूं कि करनाल अभी कोई ब्रिज बनाने की योजना नही है। उनको

तो सनौली भी नेजदीक पड़ता है और यमुनानगर भी नजदीक पड़ता है।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कितने अर्से तक इस पर विचार करेगी ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : स्पीकर साहब, इतने साफ जवाब देने के बाद भी अगर इनके पल्ले कुछ न पड़ता हो तो फिर मेरे पास कोई जवाब नही है।

Materials for Manufacturing Pipes

[1*]**987. Shrimati Shandravati :** Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) The names f the firms which have been getting iron including iron rods and iron bars or any other material required for manufacturing pipes etc., every year from 1968 to date;

(b) Whether the Government enquires about the details of production from the factories to whom it gives the quota of different metals; and

(c) If the reply to part (b) above is in the affirmative, whether the production of said factories is found commensurate with the material being received by them ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for answering this question which I have granted.

श्रीमती चन्द्रावती : कितनी देर के लिए ऐक्सटैंड हुआ है ?

Mr. Speaker : Upto 2nd December, 1974

Cost of Production of Wheat, Paddy, Cotton and Sugar-cane.

[1*]**977. chaudhri Mehar Chand :** Will the Minister for Agriculture be pleaded to state;

(a) The production cost of one quintal of wheat on any Government farm under direct cultivation during Rabi 1973-74 to gather with detailed break up of expenditure;

(b) The production cost of one quintal of Paddy on any Government farm under direct cultivation during Kharif 1973 together with detailed break up of the expenditure;

(c) The production cost of one quintal of unginned 'desi' cotton and unginned American cotton, separately, on any Government farm under direct cultivation during Kharif 1973 together with detail break up of expenditure; and

(d) The production cost of one quintal of sugar-can on any Government farm under direct

cultivation during 1973-74 together with detailed break up of expenditure.

Mr. Speaker : Extension has been asked from answering this question which I have granted.

चौधरी मेहर चंद : स्पीकर साहब, यह कितनी देर के लिए ऐक्सटैंड हुआ है ?

Mr. Speaker : Upto 2nd December, 1974. It will come on the 3rd December, 1974.

***980. Shri K.N. Gulati :** Will the Minister for Development be pleased to state :

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a separate State E.S.I. Office in the State;

(b) If so, the time by which it is likely to be materialized ?

Labour Minister (Col. Maha Singh) :

(a) A proposal to this effect is under consideration.

(b) As the final decision has not been taken this cannot be indicated.

श्री के.एन. गुलाटी : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त हरियाणा के मजदूर और

मालिक मिल कर कितना पैसा इस स्कीम के लिए देते है और सारा पेसा क्या मजदूरों की बेहतरी के लिए खर्च होता है ?

कर्नल महा सिंह : सवाल तो पेसे का ही हैं अभी हरियाणा सरकार 1/8 हिस्सा देती हैं बाकी खर्चा ई.एस.आई. कार्पोरे ान से ही मिलता है।

श्री गिरी ा चन्द्र जो ी : क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि क्या प्रोपोजल किस जगह के लिए अन्डर कंसिड्रे ान है ?

कर्नन महा सिंह : जगह बगैरा तो तब तय होगी जब प्रोपोजल कंसिडर होगी। अभी तक तो मैं जहां तक समझता हूं सवाल करने वालों का मं ाा मैडिकल कवरेज से है। ई.एस.आई. एक कार्पोरे ान है। हरियाणा गवर्नमैंट का इससे कोई ताल्लुक नही है। मैडिकल कवरेज जो दी जाती है। इस पर 7६/8 हिस्सा कार्पोरे ान खर्च करता है। केवल 1/8 हिस्सा हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता हैं डाक्टर्ज भी हम डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज से लेते है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि ई.एस.आई. एक कारपोरे ान हैं इसके खर्चे का जहां तक ताल्लुक है उसका कुछ हिस्सा तो सरकार देती है और बाकी का हिस्सा यह कारपोरे ान स्वयं खर्च करती है। यह तो अलग बात रही। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आजकल तो मजदूर

ले–आफ की वजह से अफैक्ट हो रहे है उनके बारे मैं क्या सरकार ने कुछ सोचा है ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : बारी ा हो जाए तो उनका भी इलाज फौरल हो जाए।

Ahirka Kair Kheri Marg – roopgarh, Jitgarh Link Road

***990. Chaudhri Dal Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state-

(a) Whether Ahirka Kair Kheri-Marg-Roopgarh Jitgarh link road has been constiructed completgely in Jind District;

(b) If not, the time by which the link road as referred to in part (a) above is likely to be completed.

(c) The total area of land acquired by the Government for the construction of link road as referred to in part (a) above together with the date of acquisition of land;

(d) Whether the total amount of compensation of land has been paid to the land owners whose lands were acquired for the construction of link road as referred in part (a) above;

(e) If not, the time by which the remaining amount of compensation if any, due to them is likely to be paid to the land owners; and

(f) The reasons for not paying the amount of compensation to the land owners upto now ?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma) :

(a) Yes, It is complete except a gap of 0.26 K.m. between Amarkeri & Ahirka.

(b) It will be completed in the current financial year (1974-75)

(c) Total, area of land acquired is 19.42 acres and its date of acquisition is as under :-

(i) 16th October, 1972 for 5.87 acres of land

(ii) 19th June, 1973 for 13.55 acres of land.

(d) No.

(e) No definite date can be give. Efforts will be made to pay compensation prom play on availability of funds.

(f) Financial stringency

चौधरी दलसिंह : स्पीकर साहब मंत्री महोदय ने इस प्र न के पार्ट ''डी'' के जवाब में 'नो' फरमाया है, मेरा प्र न कह था—

"(d) Whether total amount of compensation of land has been paid to the land owners whose lands were acquired for the construction of link road as referred in part (f) is कि पैसा नही है। मैं बड़ी हैरानी से यह पूछ चाहता हूं कि कारण है

कि सरकार के पास पैसा नही है। जब सरकार किसानों को जमीन ऐक्वायर करती है तो वह कौन से कानून के तहत ऐक्वायर करती है। अगर ऐक्वायर की है तो उनको पैसा दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उन किसानों को यह पैसा कब तक दे दिया जायेगा ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : कुरैक्ट पोजी ान तो यह है कि पहले रोड़ कन्सट्रक ान के लिए गवर्नमैंट की पुरानी पालिसी या थी कि लोग खुद जमीन आफर करते थे और अर्थवर्क भी किया करते थे। फिर हरियाणा गवर्नमैंट ने यह फैसला किया कि हर गांव को सड़कों के साथ कुनैक्ट कर दिया जाये। उस टाईम पर यह निर्णय किया था कि किसानों को कम्पनसे ान देंगे। इस सड़क के लिए कनसोलीडे ान के वक्त 20–20 फुट का रास्ता छोड़ा हुआ था। अब यह सड़क कोई 32 फुट चौड़ी है। हमने इस सड़क के दोनों तरफ जो जमीन ऐक्वायर की है वह लैन्ड अभी कोई 32 फुट चौड़ी है। हमने अभी तक उस सारी भूमि का कब्जा नही लिया है। हमने अभी तक केवल 8 फुट पर ही कब्जा किया है। हमने अहिरका और अमरहेरी का कम्पनसे ान भी अदा कर दिया है। यह जमीन लाट्स में ऐक्वायर हुई है। सारी जमीन सरकार के कब्जे में नही है, जमींदारों के कब्जे मे है। पैसे की कमी के कारण कम्पनेसे ान नही दिया जा सका। ज्यों ही फन्ड अवेलेबल होंगे, कम्पने ान दे दिया जायेगा।

चौधरी दलसिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कि अवार्ड के तहत कितना कम्पनसे ान देना है और कितना दिया जा चुका है।

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : एक लाख 21 हजार 541 रूपया देना था। इसमें से 34 हजार 541 दे दिया है और 87 हजार बाकी है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं पंडित चिरंजी लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दी में जवाब देने भाुरू कर दिये है। मैं इस बात के लिए पंडित जी की प्र ांसा करता हूं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जिन सड़कों के फर्लांग या दो फर्लांग के छोटे–छोटे कच्चे टुक्ड़े पड़े है, उनको कब तक मुकम्मल कर दिया जायेगा ?

पंडित चिरंजी लाला भार्मा : स्पीकर साहब, जों ऐसे स्माल टुकड़े बाकी पड़े है,उनको पहले पाये तकमील तक पहुंचाया जायेगा। हम पहले उन सड़कों को ही प्रौयरेटी रे रहे है जहां पर सड़के बाकी है और खास तौर से वहां पर जहां सोलिंग हुई है, स्टोन मैटीरियल पड़ा हुआ है।

चौधरी दलसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह लिंक रोड़ कितनी चौड़ी है ? आप जो फारमाते है कि आठ फुट ही ऐक्वायर की है और यह भी कहते है कि सरकार के

कब्जे में नही है, यह गलत है। सरकार ने उस जमीन को कब्जे में ले लिया है।

पंडित चिरंजी लाला भार्मा : मैंने यह अर्ज किया है कि कहीं पर यह 32 फुट चौड़ी है और कही पर 28 फुट चौड़ी है।

चौधरी राम लाल वधवा : मंत्री महोदय ने अभी फरमाया है कि फन्ड्सय अवेलेबल नही है, जब फन्ड्स होंगे तो पैसा दे दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकेगा ? फन्ड्स कैसे अवेलेबल होंगे ?

मुख्य मंत्री (चौधरी बन्सी लाल) : फन्ड्स तो एक ही तरीके से अवेलेबल हो सकते है कि आप आज ही नये टैक्स लगाने की सुजै ान दो कल की काम भुरू कर दिया जायेगा और काम पूरा हो जायेगा। बिना पैसे के सड़के कैसे बनायी जा सकती है ?.....(हंसी)....

चौधरी दलसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि यह जो कम्पनसे ान दिया है, वह किस तारीख को दिया गया या किस महीने मे दिया गया ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : एग्जैक्ट डेट तो इस वक्त मेरे पास नही हैं अगर मैम्बर साहब चाहते है तो मैं मंगवा कर बता सकता हूं।

चौधरी चांद राम : अभ मंत्री महोदय ने फरमाया है कि एक लाख 21 हजार 541 रूपये में से केवल 34 हजार रूपया कम्पनसै ान दिया है। उन छोटे–छोटे गरीब किसानों के लिये जो कि मुसीबत मे है, उनके लिए कोई टाईम लिमिट फिक्स करेंगे कि फलां तारीख तक पेमैन्ट कर दी जायेगी ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : यह पैसा छोटे–छोटे किसानों का भी हो सकता है और बड़ों का भी हो सकता है। जिन जमींदारों की लैन्ड ऐक्वायर की जाती है उनको लैन्ड ऐक्वीजी ान ऐक्ट के तहत बाकायदा कम्पनसे ान पर इन्ट्रैस्ट मिलता है।

चौधरी दलसिंह : स्पीकर साहब, सड़कों की चौड़ाई 12 फुट है जो पक्की है लेकिन पंडित जी फरमाते है कि 8 फुट जमीन कब्जे मे ली गई है। इसमें से कोन सी बात सही है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : मैंने अर्ज किया है कि 22 फुट का रास्ता तो कनसौलीडे ान के वक्त छोड़ा गया था उस पर इस सड़क की तामीर की गई है। हमें कम से कम 32 फुट चाहिए। कहीं पर फुट चौड़ी ली है, कहीं पर 12 फुट ली है क्योकि वह नालियों के लिए भी ली गई।

चौधरी पीर चन्द : जैसा अभी मिनिस्टर साहब ने ुरमाया है कि एक लाख 21 हजार 541 रूपये कम्पनसे ान असैस किया

है। मै यह जानना चाहता हूं कि यह कितने रूपये गज के हिसाब से रखा गया है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : यह तो लैन्ड ऐक्वीजि ान आफिसर ही फिक्स करते है।

चौधरी दलसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि इस लिंक रोड़ की चौड़ाई क्या है ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : मैंने अर्ज किया है कि कहीं पर सड़क की चौड़ाई 32 फुट है, कहीं पर 28 फुट है।

चौधरी दलसिंह : इस सड़क की चौड़ाई 60 फुट है जो आपने ऐक्वायर की है।

चौधरी मेहर चंद : स्पीकर साहब, मेरे हल्के में एक ही सैन्ट्रल रोड़ है जिसके बारे में मैंने हाउस मे और मंत्री महोदय से बार–बार अर्ज किया है कि वे यह तो बता दें कि उस सड़क को कितने साल तक पूरा कर दिया जायगा ? मैं तो यह जानना चाहता हूं कि एक ऐग्जैक्ट डेट बतायी जाये कि कब तक कम्पलीट हो तायेगी ?

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : पांच साल से पहले–पहले पूरी हो जायेगी बल्कि चार साल के अन्दर हो जायेगी।

चौधरी मेहर चंद : पता नही पांच साल तक मैं रहूं या नही। .....(हंसी) .....

पंडित चिरंजी लाल भार्मा : मै मैम्बर साहब को अ योरेन्स देता हूं कि उनको मरने नहीं देंगे .....(हंसी).....

Desert area of Mohindergarh and Bhiwani Districts

***965. Chaudhri Ram Lal Wadhwa :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to check the expanding desert in the Districts of Mohindergarh and Bhiwani; if so, the detailed steps which the Government proposes to take to check the growing pace of desert ?

कृशि मंत्री (चौधरी भजन लाल) : हां। महेन्द्रगढ़ और भिवानी के जिलों में बढ़ते हुए मरूस्थल को रोकने के लिए सायल कंजरवे ान ग्रुप के अधीन ''मरूस्थल नियन्तरण'' (Desrt Control) नामक योजना है। पांचवीं योजना के दौरान में 70 लाख रूपये की रा ि ा से 1920 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपरण, 3320 रो. की. मीटर में भौल्टर बैल्टस का निर्माण, 1360 हैक्टेयर में सैंडड्यूंज फिक्से ान संबंधी कार्य तथा 217 हैक्टेयर में पास्चर डिवैल्मैंट (चरागाहों का विकास) संबधी कार्य करने की सम्भावना है।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् 1966 से यानी जब से हरियाणा बना है, तब से लेकर अब तक यह मरूस्थल का एरिया बढ़ा है या घटा है ? अगर बढ़ा है तो कितना बढ़ा है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, पहले यह एरिया राजस्थान के साथ लगते हुए एरिये में काफी तादाद में बढ़ रहा था। हमने उसको काफी हद तक रोकने मे सफलता प्राप्त की है ? हरियाणा बनने के बाद इस एरियों में काफी कमी हुई है, बढ़ा नही है।

चौधरी दलसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्श 1973–74 में आपने मरूस्थल को रोकने के लिये कितना रूपया खर्च किया ?

चौधरी भजन लाल : तकरीबन पांच लाख रूपया।

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि जिस हिसाब से पेड़ काटे जा रहे है, उसी हिसाब से नये पेड़ों को लगाया भी जा रहा है और जिस हिसाब से पैसा खर्च हो रहा है, उसी हिसाब से पेड़ भी लगाये जा रहे है ?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक पेड़ काटने का सवाल है, उसका इस क्वै चन से संबंध नही है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि हम पेड़ काटते है, उतने ही नही बल्कि उससे भी कही ज्यादा पेड़ लगा रहे है।

श्रीमती चन्द्रावती : जिस हिसाब से पैसा खर्च हो रहा है, क्या उसी हिसाब से पेड़ भी लग रहे है या नही ?

चौधरी भजन लाल : उसी हिसाब से पेड़ भी लग रहे है बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं कि उससे भी अच्छी तरह से लग रहे है।

Percentage of Literate Persons and Girls in the State

***988. Shrimati Chandravati :** Will the Minister for Education be pleased to state the number and percentage of persoans and girls sparately in Haryana who are literate onces at present ?

ि ाक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) : 1971 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में कुल साक्षरता का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

परसनज	राज्य की कुल जनसंख्या	साक्षरता का नं.	साक्षरता प्रति ातता
पुरूश	53,77,258	20,05,424	37.3
महिला	46,59,550	6,93,755	14.9
कुल	1,00,36,808	26,99,179	26.8

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, मैं यह पूछना चाहती हूं कि स्त्रियों को अधिक संख्या में ि ाक्षित करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, इस सवाल का जवाब तो दे दिया गया है फिर भी लायक मैंबर साहिबा इस बारे में सैन्सस रिपोर्ट से मालूम कर सकती हैं इन्होने भाायद ऐंट प्रैजैन्ट के बारे मे पूछा हैं ऐट प्रैजैन्ट की हमारे पास फिगर नही है सैन्सस फिगर में भी यह होता है कि इतने परसन पढ़े है। 'परसन' में मेल और फिमेल दोनों भाामिल है। मैंबर साहिबा ने पता नही किस हिसाब से इस बारे मे पूछा है।

श्रीमती चन्द्रावती : 'परसन' से मेरा मतलब लड़कियां से भी है।

श्री माडू सिंह मलिक : लड़कियों को ि ाक्षा देने के लिये हमने पहली जमात से लेकर आठवीं तक फीस बिल्कुल माफ कर रखी है। नौवीं तथा दसवीं जमात के लिये फीस आधी कर रखी हैं इसके अलावा लड़कियां के लिये कम्पोजिट बनाने की पांच जगहों पर तजवीज है जिसमे से दो जगहों पर ये बन चुके है और तीन जगह बनने बाकी है। इसके अलावाह मने उन्हे किताबें मुफ्त देने के लिये भी इन्तजाम कर रखा हैं पिछले पांच सालों से जो हरिजन लड़कियां है, उनकों नौवीं जमात मे 20 रूपये, दसवीं मे

25 रूपये और ग्यारहवीं मै 30 रूपये के हिसाब से वजीफा दिया जा रहा है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि हरियाणा सरकार ने पिछले तीन सालों में लड़कियों के लिए कितने नये स्कूल खोले, कितने प्राइमरी से मिडल किये और कितने मिडल से हाई किये ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पकी साहब, बात यह है कि सन् 1971 में हमने यह फैसल किया था कि हम तिने स्कूलों का दर्जा बढ़ायेंगे, उनमे से आधे तो लड़कों के होंगे और आधे लड़कियों के होंगे। जहां–जहां से लड़कियां के स्कूलों का दर्जा बढ़ाने की मांग की गयी, हमने वहां–वहां पर दर्जा बढ़ा दिया।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : मैने यह पुछा है कि कितने स्कूलों का दर्जा बढ़ाया है ?

श्री माडू सिंह मलिक : जितनो ने मांगा, उतनों का दर्जा बढ़ा दिया।

चौधरी दल सिंह : कया मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लड़कियों की ऐजुके ान की लोऐक्ट परसैंटेज किस जिले में है ? (व्यवधान)

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, सबसे कम परसैंटेज जीन्द जिले में है।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि उन लड़कियों की गिनती कितनी है जिनको सरकार ने मुफ्त किताबें दी है ?

श्री माडू सिंह मलिक : हमने 10 लाख 73 हजार रूपये की किताबें स्टुडैन्टस को दी है।

श्रीमती चन्द्रावती : मैंने यह पुछा है कि कितनी लड़कियों को मुफ्त किताबें दी है। मैंने रा ि ा नही पूछी, मैंने नम्बर पुछा है ?

श्री माडू सिंह मलिक : इसके लिए अगर अलग से नोटिस दे दें तो बता देंगे।

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया है कि हमने लड़कियों को पढ़ाने के लिये उनकी फीस माफ कर दी। क्या उनके नोटिस में यह बात है कि एस.एस.एस. बोर्ड ने 5,000 से भी ऊपर टीचर्ज का इन्टरव्यू लेकर सिलैक ान किया लेकिन उनको अभी तक लगाया भी नही गया ?

Mr. Speaker : This is not a supplementary.

चौधरी दलसिंह : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया है कि जिला जींद के अन्दर लड़के लड़कियों की पढ़ाई सबसे कम है। इस बात को ध्यान मे ंरखते हुए क्या वजीर साहब

यह फरमायेंगे कि जिला जीन्द में पढ़ाई को ऐट पर लाने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, हमने सबको मौका दिया है, जब हम स्कूल खोलने के लिये तैयार थे, तब तो इन्होंने कोई खुलवाया नही, अब हम क्या करें।

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब क्या यह सच है कि अध्यापकों और अध्यापिकाओं पर मुकद्दमें चलाकर सरकार उनको तंग करके चाहती है कि देहातों में पढ़ाई न हो।

श्री माडू सिंह मलिक : यह बिल्कुल गलत है।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जो स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चे है, उनमें से कितने परसैंट बच्चे स्कूल में जाते है ?

श्री माडू सिंह मलिक : इसके लिये अलग से नोटिस दे तो बता देंगे ?

श्री गणपत राय : मंत्री महोदय ने यह बताया है कि हरिजन लड़कियों को वजीफा दिया जाता हैं क्या वे यह बताने की कृपा करेंगे कि उनसे आमदनी का सर्टोफिकेट भी लिया जाता है या वैसे ही हरिजन होने का कारण वजीफा दे दिया जाता है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब दो तरह का वजीफा दिया जाता है। एक तो गवर्नमैंट आफ इंडिया का है।

उसके लिये तो आमदनी की भार्त हैं दूसरे जो भी (हरिजन लड़की) 50 प्रति ात मार्क्स ले उसको 20 रूपये नौवी मे, 25 रूपये 10वीं में और 30 रूपये ग्यारहवीं जमात में मिलते है।

चौधरी मेहर चंद : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा के अन्दर औरतों को तालीम देने की तरफ सरकार का ध्यान क्यों कम है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, यह बात बिल्कुल गलत है कि सरकार का ध्यान नही हैं अगर ध्यान नही हो तो भाायद लोगों का नही है।

श्रीमती चन्द्रावती : सरकार जो किताबें मुफ्त देने का इन्तजात करती है, उसके बारे मे क्या सरकार यह भी देखती है कि वे स्टुडैन्टस के पास पहुंचती भी है या नही ?

श्री माडू सिंह मलिक : पहंचती है।

चौधरी दलसिंह : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी लड़कियां, जो स्कूलों मे नौवी, दसवीं या ग्यारहवीं जमात में पढ़ती है और उनकी आमदनी और घर की हालत उन हरिजनों से भी कमजोर है जिनको आप वजीफा देते है, क्या सरकार ने कई प्रोपोजल उनको भी वजीफा देने के लिये रखी है या उसके जेरेगौर है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, ऐसी कोई तजवीज नही है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि जो लड़कियों पचास प्रति ात मार्क्स प्राप्त करती है उनकों वजीफा मिलता है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लड़कियां पचास प्रति ात मार्क्स प्राप्त नही करती उनके लिए इस पचास प्रति ात की भार्त को रिलैक्स करने का कोई विचार है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, जो वजीफा दिया जाता है वह हो ि ायार लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिये है, दूसरी लड़कियों को अन्य प्रकार की रियायते मिलती है जैसे फीस माफी आदि की।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पढ़ाई की जो कमी है वह इस कारण तो नही कि मास्टरों की कमी है। अगर मास्टरों की कमी है तो वह कक तक पूरी कर दी जाएगी ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, ऐसी कोई बात नही है। हमारे पास मास्टर बहुत है।

श्रीमती चन्द्रावजी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि अगर मुफ्त किताबे मिलती हे तो हरेक जिले मे कितनी लड़कियों को मुफ्त किताबें मिली है ?

श्री माडू सिंह मलिक : इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस लिस्ट में कम से कम ि ाक्षा कितने है और कम से कम ि ाक्षा क्या है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए कि किसको कितनी ि ाक्षा मिली।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने बताया है कि तालीम देने की तरफ हरियाणा सरकार का ध्यान तो पूरा है लोगों का नही है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगें कि लोगों को एजुकेट करने के लिए, ताकि वे औरतों को तालीम दें, हरियाणा सरकार ने क्या कदम उठायें है ?

श्री माडू सिंह मलिक : लड़कियां को पढ़ाने के लिए जो कदम उठाये है वे मैंने सारे बता दिए है।

चौधरी चांद राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब संविधान के निदे ाक सिद्धांतों में यह दिया है कि छः से ग्यारह साल के बच्चें सकूल जाएंगे और उतने लिए ि ाक्षा लाजमी है, कया इस चीज को सामने रखते हुए सरकार कोई आ वासन देने के लिए तैयार है कि जितने भी बच्चे स्कूल गोइंग ऐज के अन्दर आते है फलां तारीख तक उन को स्कूल भेज दिया जाएगा ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न है कि छः से ग्यारह साल के जो बच्चे है, उनकों ि ाक्षा मिले और हमने तकरीबन हरेक गांव में प्राईमरी स्कूल खोला हुआ है।

चौधरी ि ाव राम वर्मा : मंत्री महोदय ने बताया है कि हमने ि ाक्षा देने के पूरे प्रबन्ध कर रखे है अब लोगों का काम है कि वह बच्चों को स्कूल मे भेजे। क्या मंत्री महोदय बताने का कृपा करेंगे कि छः से ग्यारह साल के बच्चों के लिए आव यक ि ाक्षा का जो कानून है उसके तहत सरकार इस उम्र के बच्चों को स्कूल भेजने का प्रबंध करेगी ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न है और इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हे ?

लाला रूलिया राम : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार नौवी, दसवीं और ग्यारहवीं क्लास में हरिजनों के बच्चों की फीस माफ है, उसी तरह से जो दूसरी बैकवर्ड क्लासिज है, जिनकी आमदनी कम है उनके बच्चों की भी फीस माफ की जाएगी।

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, जो दूसरे गरीब बच्चें है उनकी दस प्रति ात की फीस माफ होती है।

चौधरी पीर चंद : कया महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो किताब लड़कियों को मुफ्त दी गई है यह रकम सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने दी है या हरियाणा सरकार ने ?

श्री माडू सिंह मलिक : हरियाणा सरकार ने दी है।

चौधरी चांद राम : कुछ अर्सा पहले तक हरिजनों की तरह एक और क्लास थी जिनकी आमदनी एक साल में एक हजार से कम थी उनके बच्चों को भी रियायत दी जाती थी क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वह रियायत अब भी दी जाती है ?

(कोई जवाब नही दिया गया)

Government Officers/Officials of verious categories in Haryana

***978. Chaudhri Mehar Chand :** Will the Chiief Minister be pleased to state the number of Government employees in Haryana of the following categories as on 1st March, 1967 1st March, 1973 and 1st March, 1974 separately :-

(i) I.A.S. Officers:

(ii) I.P.S. Officers;

(iii) Class I Officers;

(iv) Class II Officers;

(v) Other Gazetted Officers;

(vi) Class III Officials; and

(vii) Class IV Officials ?

Cheif Minister (Chaudhri Bansi Lal) : The date for the years 1967 and 1973 are available as for 31st March, 1967 and 31st March, 1973 and not for 1st March, 1967 and 1st March, 1973.

The number of Government employees (except Vidhan Sabha) posted in Haryana was as below : -

Category	As on 31-3-1967	As on 31-3-1973	As on 1-3-1974
(i) I.C.S. and I.A.S. Officers	55	65	68
(ii) I.P.S. Officers	26	26	28
(iii) Class I Officers	311	629	894
(iv) Class II Officers	1,634	2,763	3,559
(v) Other Gazetted Officers	--	--	--
(vi) Class III Officials	66,801	96,566	1,04,380
(vii) Class IV Officials	28,424	31,320	30,647

	97,251	1,31,369	1,39,576

चौधरी दलसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो फिगर्ज दी है इसमें हरिजन आफिसर्ज की परसैन्टेज क्या है ?

चौधरी बंसी लाल : यह सप्लीमैंटरी इससे अराईज नही होता। क्वै चन में एम्पलाईज की फिगर पूछी गई है।

श्री के.एन. गुलाटी : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक एम्पलाई को कितनी देर में कन्फर्म कर दिया जाता है ?

चौधरी बंसी लाल : यह सप्लीमैन्टरी इस क्वै चन से अराईज नही होता।

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हर साल जो आई.ए.एस., आई.पी.एस. और दूसरे आफिसर्ज की संख्या बढ़ती जा रही है, इनका क्या कारण है ?

चौधरी बंसी लाल : अधिकारियों की जरूरत है, इसका कारण यही है।

Old Age Pension

***981. Shri K.N. Gulati :** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state;

(a) The total number of applications togetherwith the names of applicants belonging to Faridabad which are lying pending for the payment of Old Age Person at present ; and

(b) The time by which the said applications are likely to be disposed of ?

socialWelfare & Taxation Minister (Shri Shyam chand) : (a) and (b) A Statement is laid on the Table lf the House.

Statement

(a) (i) 29

(ii) A statement showing the names of applications is attached.

(b) 9 case which are complete in all respectes, will be anctioned pension shortly. The remaining incomplete cases are under process with civil agencies/applications. These will be considered as and when received.

तारांकित प्र न एंव उत्तर

Statement showing the names of the applicants

Sr. No.	Appl. No.	Name and percentage
1.	8738	Smt. Devi Bai wife of Sh. Jaswanti Ram
2	8544	Sh. Khan Chand son of Sh. Lal Chand
3	8609	Smt. Mosi Bai wife of Sh. Jagat Singh
4	8700	Sh. Ram Singh son of Sh. Bhagat Kesar Dass
5	8701	Smt. gungi Bai wife of Sh. Sh. Ram Singh
6	8702	Sh. Hetu Ram son of Sh. Udho Ram
7	8927	Smt. Bhagwanti wife of Sh. Khan Chand
8	9137	Sh. Amir Chand son of Sh. Maya Dass
9	9138	Smt. Laj Wanti wife of Sh. Amir Chand
10	1453	Smt. Mhari wife of Sh. Budhu Ram
11	1503	Sh. Sadhu Ram son of Sh. Bachha Ram
12	1809	Sh. Shedi Ram son of Sh. Devi Ditta
13	3627	Smt. Phulli Bai son of Sh. Shiv Dass
14	2845	Smt. Ram Piari wife of Sh. Sohan Lal
15	3289	Sh. Murli Dhar Son of Sh. Chokha Ram

16	3290	Smt. Chhati Bai wife of Murli Dhar
17	3910	Smt. Basanti Devi wife of Sh. Ram Chand
18	4268	Smt. Ganga Devi wife of Sh. Dhanwant
19	5140	Sh. Sunder Singh son of Sh. Mehar Singh
20	5002	Sh. Ram Dayal son of Sh. Notan
21	5003	Smt. Shammi wife of Sh. Ram Dayal
22	5550	Sh. Faquir Chand son of Sh. Peeran Ditta
23	5688	Smt. Bhagwanti wife of Sh. Jai Singh
24	5689	Sh. Roop Chand son of Sh. Ganga Ram
25	6304	Smt. Parmeshri Devi wife of Sh. Gurdas Mal
26	8387	Sh. Uttam Chand son of Sh. Mohan Lal
27	8608	Smt. Asha Devi wife of Sh. Chander Gupta
28	9018	Smt. Phulan Bai wife of Sh. Hardyal
29	9152	Sh. Pannu Ram son of Sh. Lal Chand

श्री के.एन. गुलाटी : स्पीकर साहब इस लिस्ट मे 29 आदमियों के नाम दिए है और आगे लिखा है कि नौ आदमियों को जल्दी ही पेन्शन दी जाएगी। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि वे नौ आदमी कौन से है?

श्री भयाम चन्द : उनके नाम स्टेटमैंट मे दे रखे है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। उनके नाम है–

1. Smt. Devi Bai wife of Jswanti Ram.
2. Sh. Khan Chand son of Sh. Lal Chand
3. Smt. Mosi Bai wife of Sh. Jagat Singh
4. Sh. Ram Singh son of Sh. Bhagat Kesar Dass.
5. Smt. Gungi Bai wife of Sh. Ram Singh
6. Sh. Hetu Ram son of Ude Ram.
7. Smt. Bhagwanti wife of Sh. Khan Chand.
8. Sh. Amir Chand son of Sh. Maya Ram.
9. Sh. Laj Wanti wife of Sh. Amir Chand

चौधरी राम लाल बधवा : क्या मत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ओल्ड ऐज पैंन ान के लिए इस साल कितना रूपया रखा गया है और कितना दिया जा चुका है।

श्री भयाम चन्द्र : 13 लाख रूपया रखा था और आठ लाख दिचा जा चुका है।

चौधरी दलसिंह : कया मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा स्टेट के अन्दर कितने लोग है जिनको ओल्ड ऐंज पेन ान मिलती है?

श्री भयाम चन्द्र : 5458 आदमी है जिनको पेन् ान मिलती है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पिछले छः महीने से कई लोगों को पैन् ान नही मिली है, इसका कया कारण है ?

श्री भयाम चन्द्र : वेरीफिके ान के बाद सब को पैन् ान मिलती है।

श्रीमती चन्द्रावती : 5458 लोगों को ओल्ड ऐज पैन् ान दी जा रही हैं क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वृद्धो की कुल कितनी संख्या है ?

श्री भयाम चन्द्र : यह तो इस प्र न से अराईज नही होता।

मुख्य मन्त्री (चौधरी बंसी लाल) : हमें तो यह ही नही पता कि बूढ़े की डैफिने ान क्या है। .....(हंसी).....

चौधरी राम लाल वधवा : 5458 लोगों को पैन् ान मिलती है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कुल ऐप्लीके ांज कितनी आई है?

श्री भयाम चन्द्र : कोई 9 हजार के लगभग।

श्री के.एन. गुलाटी : क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाले की कृपा करेगें कि पैन ान के जो पुरान रेटस है, उनको बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है ?

Shri Shyam Chand : The matter is under consideration.

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि क्या वे लोग भी इसमें भाामिल हो सकते है जो कि बहुत बुढ़े है और उनकी देखभाल कोई नही कर रहा है ? वैसे उनके बच्चे तो है पर वे उनको छोउ़कर चले गये हैं क्या सरकार द्वारा ऐसे लोगों की देखभाल भी की जाएगी ?

Shri Shyam Chand : Every case is decided on merits.

चौधरी मेहर चंद : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साह बयह बतलाले की कृपा करेंगे कि जो इन्होंन इपने जवाब में पांच हजार का नम्बर दिया है, उसकी डिस्ट्रिक्ट वाईज ब्रेक अप क्या है और अगर कांस्टीचूएन्सी वाईज बता दे तो और भी बेहतर होगा क्योकि इसके लिये मैं कई बार कह चुका हूं।

श्री भयाम चन्द्र : अम्बाला 1261, भिवानी 117, कुरूक्षेत्र 42, जींद 136 सोनीपत 117, गुड़गांव 807, महेन्द्रगढ़ 275, हिसार 483, करनाल 796, रोहतक 1974

श्री के.एन. गुलाटी : स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि 13 लाख में से 5 लाख का खर्चा करना है। क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1974 से पैं ान के जितने केसिज पैंडिग पड़े हुए है, उनको कब तक सैटल कर दिया जाएगा ?

श्री भयाम चन्द्र : जब वैरीफिके ान कम्पलीट हो जाएगी।

चौधरी फूल सिंह कटारिया : मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दूसरी स्टेटस में जिस तरह से पैन् ान के रेटस है, क्या उसी प्रकार से हरियाणा प्रान्त मे भी पैन् ान के रेटस को बढ़ाकर 50 रूपये कर दिया जाएगा ? क्या सरकार पैन्सन रेटस को बढ़ान का विचार रखती है ?

श्री भयाम चन्द्र : इस बारे मे हमने भारत सरकार को रिक्वैस्ट की हुई है कि 25 रूपये से बढ़ाकर यह रा ि ा 50 रूपये कर दे। अगर वह मान गई तो हम बढ़ाकर 50 रूपये कर देंगे।

Primary Schools

***991. Chaudhri Dal Singh :** Will the Ministe for Education be pleased to state –

(a) The total number of villages in the State hwere there were no Primary schools upto 31st Marht, 1974;

(b) The total number of Primary Schools opened in the State during the year 1974-75 so far; and

(c) The Number and names of Middle Schools upgraded to High Standard during the financial year 1974-75 so far ?

ि ाक्षा एंव परिवहर राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

1) 948 इनमें से 499 ग्रामों के एक मील के अन्दर अन्दर ऐसे विद्यालय स्थित है।

2) भून्य।

3) दो 1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मकड़ौली कलां (जिला रोहतक)।

2. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नलवा (जिला भिवानी)।

चौधरी दलसिंह : स्पीकर साहब, मैने अपने सवाल के पार्ट ''बी'' में यह पूछा था –

"(b)The total number of Primary Schools opened in the State during the year 1974-75 so far"

मेरा मतलब तो पूछने का यह था कि आपके पास स्कूल खोलने के लिए फण्डज वगैरह ही नही थे या लोगों की ओर से ही कोई अर्जिया नही भेजी गई थी ?

ि ाक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक) : स्पीकर साहब, फोरथ फाईव ईयर प्लान मे 169–70 में 50, 1970–71 मे 50, 1971–72 में 300, 1972–73 मे 438 प्राइमरी स्कूल खोले हैं जो हमारा टारगेट था, उससे ऊपर चले गये। अगली योजना जो होगी, उस वक्त उसके मुताबिक देख लेगें।

श्री माडू सिंह मलिक : 948 गांवों मे से 499 गांव ऐसे है जहां पर एक मील के अन्दर अन्दर प्राइमरी स्कूल्ज स्थित हैं बाकी 449 गांव ऐसे है जहां पर कि 1.6 मील के फासले पर स्पकूल स्थित हैं

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, इसका मतलब तो यह हुआ कि बाकी स्कूल खोलने की आव यकता ही नही है।

Mr. Speaker : Order please. No arguments pleas. No suggestions or arguments can be advanced furing the question hour. the hon. Member can ask a direct supplementary.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मेरा सीधा प्र ान है कि क्या सरकार कोई और स्कूल खोलने की आव यकता महसूस नही करती ?

श्री माडू सिंह मलिक : आव यकता तो महसूस करती है जैसे–जैसे आव यकता होती जाएगी, वैसे–वैसे हम खोलते जाएंगें।

चौधरी ि िव राम वर्मा : स्पीकर साहब, क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के स्कूल न खोलने के क्या कारण है ? आया पैसे की कमी महसूस हो रही है या कि लोग ज्यादा पढ़–लिख गये है इसलिये ये स्कूल खोलने में असमर्थ है ?

(कोई जवाब नही दिया गया)

चौधरी चांद राम : क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों के दरम्यान एक दो नदियां पड़ती है या जो फलडिंड एरियाज है, नदियों पर को पुल नही है, क्या सरकार ऐसे गांवों मे स्कूल खोलने का विचार रखती है ?

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, जहां पर ऐसी कोई तकलीफें होती है, वहां पर हम स्कूलज की ब्रांच खोल देते है हर तरह की सहूलियतें दी जाती है।

चौधरी पीर चंद : क्या सरकार 1974–75 में मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों में कन्वर्ट करने का कोई विचार रखती है।

श्री माडू सिंह मलिक : जी नही। अभी कोई विचार विचारधीन नही है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का : स्पीकर साहब, अगर सरकार को ऐसे कोई गांव बता दिये जाएं पर कि कोई स्कूल नही है, तो

क्या फिर ऐसे गांवों में सरकार स्कूल खोलने पर विचार कर सकती है ?

श्री माडू सिंह मलिक : ऐसी कोई स्कीम उस वक्त सरकार के विचाराधीन नही है।

अतारांकित प्र न एंव उत्तर

Distribution of Tyres and Tubes to Truck Owners

316. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) The total number of tyres and tubes distributed on permits issued to the truck owners of Karnal alongwith their names against the total number of tyres and tubes received from the various companies during the perod from 1st February, 1973 to date; and

(b) The criteria of allowtment of tyres and tubes to the truck owers ?

समाज कल्याण तथा कराधान मंत्री (श्री भयाम चन्द) :

1) 1 फरवरी, 1973 से आज तक के समय के बीच मे उन सभी टायरों व टयूबों की विरणी देना जो कि प्राप्त हुए तथा करनाल के ट्रक मालिकों (उनके नामां सहित) को परमिटों पर बांटे गए है, एक बहुत बड़ा काम है और

ऐसी विवरणिायों का तैयार करने मे मेहनत अव य होगी परन्तु उसका कोई लाभ नही होगा।

2) ट्रकों के मालिकों के लिए यह आव यक है कि वह अपने ट्रकों के लिए अपनी मांग ट्रक वितरण कमेटी जिसके अध्यक्ष उपायुक्त या उप मण्डल अधिकारी या जी.ए. होते है, के पास दर्ज करवाए। ट्रकों के टायरों को वितरण करने की विधि निम्नलिखित है :–

(i) रजिस्ट्रे ान के 6 महीने के अन्दर कोई ट्रक टायर ट्रक मालिकों को जारी नही किया जाता।

(ii) लम्बे फासले यानी जो कि 300 मील से कम न हो के रूट परमिट वालों के लिए आगर नाईलन टायर उपलब्ध हो तो जारी किये जाते है, नही तो दूसरे केसो मे रेयन टायर जारी किये जाते है।

(iii) 4 सितम्बर, 1974 को जिला अधिकारियों को आदे ा दियेै गये थे कि ट्रक आपरेटरज को एक वर्श में 4 टायर तथाा 4 टयूबज जो कि पहले दिए जाते थे, के मुकाबले अब 6 टायर तथा 6 टयूबज दिए जाएं मगर किसी भी पार्टी को एक समय मे 2 टायर तथा टयूबज से अधिक न दिए जाएं।

(iv) अलाटमैंट मुख्यतः ट्रक टायर वितरण कमेटी द्वारा बारी की जाती है।

(v) सप्लाई मे से 5 प्रति ात सरकार विभागों अन्डरटेकिंगज की ताल्कालिक आव यकताओं के लिए रिजर्व रखे जाते है।

Distribution of Cement Bags

317. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Social Welfare & Taxation be pleased to state –

(a) The month-wise total number of bags of cement distributed in Karnal twon by the District Authorities to the applicants from 1st April, 1973 todate, separately; and

(b) the total No. of applications reveived from the public and number of applications disposed of during the period referred to in part (a) above alongwith the anmes of persons who were given permits for more thatn 25 bags of cement ?

समाज कल्याण तथा कराधान मंत्री (श्री भयाम चंद) :

(a) जो सीमेन्ट करनाल भाहर में प्रति मास 1 अप्रैल, 1973 से 19 नवम्बर, 1974 तक वितरण किया गया उस की विवरणी संलग्न है।

(b) करनाल भाहर में जितने सीमेंट के प्रति मास प्रार्थना–पत्र जनता की तरफ से आए और उन में से जिन को सीमेंट वितरण किया गया उन की संख्या भी उसी विवरणी मे दी गई है।

(c) जिन व्यक्तियों को 25 थैले से अधिक सीमेन्ट के परमिट करनाल भाहर मे उपरोक्त लम्ब समय में दिए गये है वह संख्या में ज्यादा है उन के नाम व पता बताने मे जितना सतय व मेहनत होती है उसका फल उस के अनुसार नही मिलेगा।

Statemnt showing the Distribution of Cement in Karnal town from 1-4-73 to 19-11-74

Sr. No.	Name of the Month	Quantity of cement distributed (in bags)	No. of applications received	No. of applications disposed of
1	April, 1973	3,590	752	482
2	May, 1973	3,473	603	383
3	June, 1973	3,314	473	378
4	July, 1973	3,219	463	375
5	August, 1973	3,241	452	352
6	September, 1973	3,490	406	425

7	October, 1973	2,719	403	281
8	November, 1973	3,177	450	150
9	December, 1973	7,469	234	175
10	January, 1974	5,768	146	125
11	February, 1974	4,984	128	282
12	March, 1974	3,837	104	172
13	April, 1974	553	20% *No public distribution	*No public distribution
14	May, 1974	215		
15	June, 1974	226		
16	July, 1974	2,200	2,140	740
17	August, 1974	2113	460	289
18	September, 1974	1580	478	171
19	October, 1974	1836	447	300
20	November, 1974	2008	295	200
	Total	59012	8434	5280

*Detribution system on 80% of supplies of cement was removed durint the period from 15 April, 1974 to 30th June, 1974.

Government Adventisements In Various Newspapers

318. Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) The criteria of giveing advertisements to the nespapers; and

(b) The names of English, Hindi, Urdu and Punjabi daily, weekly and monthly newspapers which have been given advertisements by the State Government durint the period from 1st January, 1974 to date together with the amount of advertisements paid to each such newspapers, year wise ?

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल) :

(a) सरकारी विज्ञापन सरकार द्वारा निर्धारित भाशा–नीति के अनुसार दिए जाते है, जो कि हिन्दी के लिए 40 प्रतिशत, अंग्रेजी 30 प्रतिशत उर्दू, 20 प्रतिशत और पंजाबी 10 प्रतिशत है।

(b) सूचना एकत्रित करने में जो समय व श्रम लगेगा उससे पर्याप्त लाभ नह होगा।

Quota of Iron and Steel

319. Shrimati Chandravati : will the Minister the Industries be pleased to state –

(a) The quantum of the quote of each kind of iron, such as teel, iron and iron bars, etc., received by different factories in the State during the period from 1970 to date together with the number of such factories;

(b) The addresses of the said factories togetherwith the naems of articles being manufactured therein; and

(c) The number of owners of the ghost factories, if any, found out of those referred to in part (a) above ?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह) :

(क), (ख) तथा (ग) : मांगी गई सूचना इतनी विस्तृत है कि इसके संग्रहण/संकलन मे लगने वाला समय तथा श्रम, दी जाने वाली सूचना की उपभागिता के अनुरूप नही होगा।

Amount spent on Publicity

320. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home be pleased to state --

(a) The year wise total amount spent by the Governement on publicity durint the period from 1968 to date;

(b) The names of the newspapers to whom money was paid from advertisements during the said period togetherwith teh amount tpaid to each of them;

(c) The xpenditure incurred on making documentary film reels togetherwith the names of persons except the State photographers to who mony was paid for the documentary films during the period as referred to in part (a) above; and

(d) The expenditure incurred on cinema slides during the said period ?

Interim Reply

विशय : विधान सभा प्र न नं. 320 श्रीमती चन्द्रावती एम.एल.ए. द्वारा प्रचार की गई रा ि ा के बारे में पुछा गया।

अन स्टार्ड विधान सभा प्र न नं. 320 जो कि दिनांक 26 नवम्बर, 1974 को लगा है, के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि 30 दिन की extension दे दी जाए।

हस्ताक्षर

(हरपाल सिंह)

उद्योग मंत्री

सेवा मे,

सचिव, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

Seizure of Goods and Challans made in the State

321. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) The Sub-Division wise total number of challans made during the period from March, 1972 to-date in the Sate together with the nature of offences for which the challans were made;

(b) Whether any goods were seized in any of the above mentioned cases durint the period as referred to in part (a) above, if so, the quanitity thereof together with the manner in which the same were auctioned and the amount realised as a result of the said auction ?

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल) : उक्त विधान सभा प्र न से संबन्धित सूचना एकत्रित करने में लगने वाले समय व परिश्रम के तुल्य उससे उत्पन्न कोई वि ोश लाभ नही होगा।

Murders Committed in Dadri Sub-Division

322. Shrimati Chandravati : Will the Minister for Home be pleased to the total number of murders committee in Dadri Sub-Division during the period from 1948 to 1968 and from 1968 to-dat, separtely ?

गृह मंत्री (श्री के.एल. पोसवाल) : दाददी सब डिवीजन में निम्नलिखित अवधि कत्ल के मामलों की कुल संख्या :

1948 से 1968 तक	1969 से आज तक (15—11—74)
59	19

Irrigation from Different Canals

323. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state –

(a) the total area irrigated by different canals in the State during the year 1973-74;

(b) the capacity of Augmentation Canal and the daily quantity of water supplied through this canal in 1973-74;

(c) The number of days when water was supplied to Jui Canal during the year 1973-74 and the quantity of wate supplied each day during the same period; and

(d) The area irrigated by the Jui Canal in the financial year 1973-74.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता) :

i. वर्श 1973–74 के दौरान राज्य मे विभिन्न नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र 40,88,255 एकड़ है।

ii. आवर्धन रहर के निर्गम स्थान पर क्षमता 3240 क्यूसैक्स और टेल पर 3931 क्यूसैक्स है। इस वर्श के दौरान नहर मे ंनिर्गम स्थान से बहने वाले पानी की मात्रा 21 क्यूसैक्स (लीकेज) घटती बढ़ती रही है।

iii. वर्श 1973–74 के दौरान जुई नहर 197 दिल चलती रही। वश्र के दौरान नहर मे सप्लाई किया गया जल 50 क्यूसैक्स से 292 क्यूसैक्स तक घटता बढ़ता रहा।

iv. वित्त वर्श 1973–74 में जुई नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र 12,982 एकड़ है।

Strength of Haryana Armed Police

324. Chaudhri Dal Singh : will the Minister for Home be pleased to state—

(a) Whether Government has raised the strength of H.A.P. in the State during the year 1974-75.

(b) If so, the total number of recruits enrolled as referred to in part (a) above;

(c) The total number of Assistant Sub-Inspectors of Police alongwith their addresses recruited through the Haryana S.S.S. Board in the State during the years 1973-74 and 1974-75, separtely; and

(d) The number of Assistant Sub-Inspectors belonging to the scheduled castes and backward classes out of hose referred to in part (c) above ?

Home Minister (Shri K.L. Poswal) :

(a) Yes.

(b) 934/-

(c) 1973-74 : Nil

1974-75 : 31 (list enclosed)

(d) Scheduled castes : 6

Backward classes: 1

Sr.	Roll No.	Name and address Sarvshri
1	8	Baljit Singh Jat S/o Shri Chuhar Singh village Sherpur P.O. Chhachhrauli, Teh. Jagadhri, Distt. Ambala
2	604	Sajjan Singh son of Dharambir Singh Excise Inspector, Panipat Co-operative Distillary,

		Panipat, Ditt. Karnal
3	2216 (ESM)	Ram Niwas son of Ram Singh, V.P.O. Milkpur No. 2 Teh. Bawani Khera Distt. Bhiwani
4	391 SC	Piara Ram son of Sh. Munshi Ram Vill. Salpani Khurd, P.O. Ajrana Kalan, Distt. Kurukshetra
5	1590	Hari Singh Nehra son of Khubi Ram V.P.O. Lehryan Via tohana Teh. Fatehabad, Distt. Hissar.
6	2250	Raghbir Singh son of Shri Kurda Ram V.P.O. Mitathal, Distt. Bhiwani
7	1464 SC	Amir Singh Sabharwal C/o Principal, Govt. College, Hissar
8	2199 ESM	Rajender Kumar Dulta 116 K.M. Park Colony, Bhiwani
9	730 ESM	Jai Narain Rana son of Bhajan Singh V.P.O. Gummar. P.O. Ganaur, Distt. Sonepat.
10	1516	Raj Singh Phogat son of Norang Singh Vill. Fortpura, P.O. Gawalison Teh. Jhajjar (Rohtak)
11	1319	Balbir Singh son of Gulab Singh V.P.O. Nehla, Teh. Fatehabad, Distt. Hisar
12	2157	Norang Mal son of Krishan Lal Vill. Thikara

	ESM	P.O. Chrkhi, Teh. Charkhi Dadri (Bhiwani)
13	1299 SC	Ram Kumar son of Harnam Sing V.P.O. Birdhana, Distt. Rohtak.
14	1662	Lachhman Singh Dhillon son of Nehar Singh vill. Ladhuwas P.O. Nangal Distt. Hissar
15	2006 ESM	Charanjit Singh son of Assa Ram V.P.O. Gurera Distt. Bhiwani
16	700 SC	Hukam Singh son of Pehlad Singh V.P.O. Bhatgaon Distt. Sonepat
17	1137	Narender Singh son of Shiv Lal V.P.O. Gochhi Distt. Rohtak
18	1747	Partap Singh sheoran son of Hazari Lal V.P.O. Daulatpur Distt. Hisar.
19	1525 SC	Chandgi Ram c/o the Sr. Superintendent. of Police, Hisar
20	1835	Rajpal Singh Ghanghas c/o Bajra Breeder H.A.U, Hisar
21	182	Kulbir Singh Chaudhry H.No. 663, sect. 8-B, Chandigarh
22	207	Raj Kumar Vashisat c/o Prehlad Dutt, H.No. 479, Sect. 15-A, Chandigarh.
23	809 ESM	Rishal Singh son of Chandgi Ram V.P.O. Anwli, Teh. Gohana, Distt. Sonepat.

24	1884	Sabib Ram son of Fatta Ram V.P.O. Aboob Shahar, Teh. Sirsa, Distt. Hisar
25	322	Devi Dyal Bansal son of Puran Chand Vill. Mandwhal, Teh. Kaithal, Distt. Kurukshetra.
26	2486	Om Parkash Deshwal son of Dewan Singh V.P.O. Gagoli, Teh. Safidon, Distt. Jind.
27	1837 BC	Ram Kumar son of Sh. Nand Lal V.P.O. Beajelpur, Distt. Hisar.
28	192 ESM	Manphul Sing Poonia H.No. 2862, Sect. 22-B, Chandigarh.
29	542 ESM	Mange Ram Vashist son of Dhajja Ram V.P.O. Nariana, Teh. Panipat, Karnal
30	2167 SC	Om Parkash Dabla son of Bhan Singh Vill. Haroda Kalan, P.O. Harodi, Teh. Charkhi Dadri (Bhiwani)
31	2883	Maharaj Sing Khatana son of Likhi Ram V.P.O. Ridhauj Distt. Gurgaon.

Land Acqured for Roads and Link Roads.

325. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Revenue be please to state –

(a) The total acreage of lands acquired by the Government for the construction of roads and

link roads in the State during the year 1971-72, 1972-73 and 1973-74, separately;

(b) The amount of compensation paid by the Government to the land owners for the lands referred in part (a) above; and

(c) Whether any compensation is yet to be paid to the land owners for the lands as referred to in part (a) above; if so, the amount of such compensation together with the time by which it is likely to be paid to the land owners ?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरंजी लाल भार्मा) :

(ए)	1971—72	1933. 178 एकड़
	1972—73	2369. 510 एकड़
	1973—74	2886. 510 एकड़
		रूपये
(बी)	1971—72	11,71,512
	1972—73	12,68,026
	1973—74	13,58,360

(सी) जी हां, परन्तु मुआवजा की देय राि । उपलब्ध नही है क्योकि अभी तक अवार्डज घोशित नही किये गए। अदायगी मे कितना समय लगेगा, अभी नही बताया जा सकता।

Lan acquired for the construction of Canals, Minors and Channels

326. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) The total acreage of land acquired by the State Government for the construction of canals, minors and channels during the year 1970-71, 1971-72, 1972-73 and 1973-74 separately;

(b) The total amount of compensation as awarded by the Land Acquisition Officer for the said land ; and

(c) The amount paid to the land owners out of the amount referred to in part (b) above ?

Interim Replay

Subject : Haryana dVidhan Sabha Unstarred Question No. 326 asked by Chaudhri Dal Singh, M.L.A. regarding acquisition of land Extension of time

The Unstarred Assembly Question No. 326 appearing in the list of unstarred question on the 26th November 1974 in the name of Chaudhri Dal Singh, M.L.A. is not ready.

The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Minister for Irrigation & Power

Haryana

The Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. No. 5353-5PW Ii-74/dated Chandigarh, the 25th November, 1974.

अध्यक्ष द्वारा घोशणाएं

स्भापति तालिका

Mr. Speaker : Under rule 13 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following Members to serve on the Parel of Chairman :-

1 Rao Nihal Singh

2 Rao Dalip Singh

3 Chaudhri Ishwar Singh.

4 Chaudhri Manphul Singh

याचिका समिति

Mr. Speaker : Under Rule 286 (1) of the rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative

Assembly, I nominate the following Members to serve on the Committee on Petitions:-

1 Smt. Lekhwati Jain (Deputy Speaker), **Ex-offcio** Chairman;

2 Rao Dalip Singh.

3 Sh. Gulab Singh Jain.

4 Chaudhri Phool Chand (Rohat) ; and

5 Chaudhri Phool Chand (Mullana).

सचिव द्वारा घोशणाएं

Secretary : Sir, I Beg to lay on the Table of the House a Statement showing the Bills which were passed by the Haryana Legislative Assembly during its last Sessions held in July, 1974 and August, 1974 and have since been assented to by the Government/*President.

Statement

July, 1974 Session

1 The Haryana Anatomy Bill, 1974.

2 The Societies Registration (Haryana Amendment) Bill, 1974.

3 The Punjab co-opersative Societies (Haryana amendemnt) Bill, 1974.

4 The Haryana Canal and Drainage Bill, 1974.

5 The Punjab Gram panchayat (Haryana Amendment) Bill, 1974.

6 The Haryana Industial Estates (Development and Regulation) Bill, 1974.

August, 1974 Session

1 The Haryana Police (Protection of Railways) Bill, 1974.

2 The Haryana Home Guards Bill, 1974

3 The Haryana Abolition of Whipping Bill, 1974.

4 The Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1974.

Sir, I also beg to lay on the Table of the House a copy each of the following documents received formt the Council of States regarding the ratificaiton of the Constitution (Thirty-sixth Amendment) Bill, 1974, as passed by the Houses of Parliamnet :-

1 Letter dated the 19th September, 1974, received from the Secretary-General, Rajya Sabha.

2 The consititution (Thirty-sixth Amendment) Bill, 1974, as introduced in the Lok Sabha (Engish and Hindi versions)

3 The Constitution (Thirty-sixth Amendemnt) Bill, 1974, as passed by the Houses of Parliament (English and Hindi verisions).

4 The Lok Sabha debate on the Constitution (Thirty-sixth Amendemnt) Bill, 1974; and

5 The Rajya Sabha debate on the constitution (Thirty-sixth Amendemnt) Bill, 1974.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र के अन्दर और सारे हरियाणा के अन्दर पुलिस ने जो लाठी चार्ज किया है क्या वह गवर्नमैंट की जिम्मेदारी नही ? जवाब में यह लिखा है कि यह अटानामस बौडी है।

Mr. Speaker : Order pleas. The Adjourment Motion has been disallowed on the grounds mentioned in the reply and you have received the reply and you have reveived the reply. No. further discussion please.

चौधरी दलसिंह : स्पीकर साहब, आप हमारी बात सुनिये, मेरी इस सिलसिले में एक सबमि ान है। (ाो) कुरूक्षेत्र चूनिवर्सिटी के अन्दर लाठी चार्ज हुआ। वहां की बात ही नही बल्कि सारे हरियाणा के अन्दर लाठी चार्ज करवाया गया है।

Mr. Speaker : Order please. It related to an ordinary administrative matter and socondly it relates to an autonomous body.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं इनकों बताना चाहता हूं कि जनरल डायर के साथ, जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, अन्त में क्या हुआ था ? (विघ्न) स्पीकर साहब, ये तो आप पर भी लाठी चला सकते है। सारे हरियाणा के अन्दर

ऐसी बाते हो रही है। यहां का ला एण्ड आर्डर का सवाल है और ये यहां पर इतनी ज्यादतियों करवा रहे है फि र भी आप हमें यहां बोलने की इजाजत नही दे रहे है।

Mr. Speaker : Order Order. No discussion please.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, हम लोग डिसक ान नही करते। मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मेरा प्वायंट आफ आर्डर यह था कि यह जो मामला था , आबिचुअरी रैफरैन्स के बाद उठाया जाना चाहिये था क्योंकि हाउस में जब आबिचुअनी रैफरैंसिज हो, तो उससे पहले ऐसे मामलों को उठाना भाोभा नही देता।

श्री अध्यक्ष : अब जो हो चुका है। आगे से ऐसा नही होना चाहिये।

भाोक प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) स्पीकर साहब, पिछले सदन के अधिवे ान से लेकर अब तक कई हमारे साथी हमें छोड़ कर चल बसे।

This house places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Sh. V.K. Krishna Menon, former Union defence Minister, on 6th October, 1974.

Shri Krishna Menon was born on 3rd May, 1896 at Calicut in Kerala. He graduated form the Presidency College,

Madras, in 1919. He was Barrister-at –law and was called to the Bar from the Middle Temple, London

Sh. Menon organisad the India league in London to Campiagn for India's Independence. He was the League's Secretary and then its President. He practised in various British Courts and in the Privy Council. He was elected Borough Councillor of St. Pancreas.

When India gained Independenc, Sh. Menon was sits first High Commissioner to Britain. He also became India's Ambassador to ireland from 1949 to 1952. He was leader of the Indian Delegation at UN in 1952-53 and 1954-1962. Sh. Memon was Minister without Portfolio in the Union Cabinet in 1956-57 and was Defence Ministe from 1957 to 1962. In the 1971 General Elections, he was elected to the Lok Sabha from the Trivandrum Constituency.

Sh. Menon was known for his sharp intellect, brilliant oratory and simple habits.

In his death, the country has lost an eminent statesman and leader. The House resolves to send its heart frlt sympathy to the membes of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrosw on the sad and untimely demise of Sh. Jayachamaraja Wadiya, farmar Ruler of Mysore on 23rd September, 1974.

Sh. Wadiya was born on the 18th July, 1919. He had his early eduction in Mysore and obtained his degree from the Maharaja's College at Mysore.

He Became Rajpramukh of Karnatka, then called Mysore, immediately after the State marged with the Indian Union. Letter on, was Governor of Tamil Nadu (then Madras) from May, 1964 to May, 1967.

He was a great philanthropist and serval educational and cultural institutions in Mysore were behefitted by his generosity. He was also noted for his writings.

In his death, the country has lost a great personage. The House resolves to send its heart-felt condolences to the generosity. He was also noted for his writing.

In his death, the country has lost a great personage. The House resolves to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sad demise of Miss Mridula Sarabhai on 27th October, 1974.

Miss Sarabhai was born on the 6th May, 1911 in teh famous Sarabhai family of Ahmedabad. She studied at Gujarat Vidyapeeth. She took to journalism and was actively associated with “The National Herald” and “Gujarat Samachar”. She was Secretary of the Panel for women in the National Planing Council formed by Sh. Jawahar Lal Nehru befor Independence.

Miss Sarabhai did active work in the riot-affacted areas of Bihar in 1946.

In her death, the country has lost an ardent freedom fighter and a social worker of great renown. This House resolves to send its heart-felt sympathy to the membes of the bereaved family.

This House places on record its deep sense of sorrow on the sudden and sad demise of Sh. Ajaib Singh Sindhu, M.L.A. Punjab Vidhan Sabha on the 61th November, 1974.

Sh. Sandhu was born on February 5, 1929, at Khabra Village in Ropar district. He received his education at the Punjab and Delhi Universities from where he did his LL.B and Diploma in Jaurnalism. In 1960 he started hs career as a lawyer at Ambala. Sh. Sandhu took an active part in Akali Politics and was a leading participat in the Akali morchas.

Sh. Sandhu was first elected to the Punjab Assembly inthe 1962 General Elections from Morinda (Reserved) Consitituency. During this term he was a member of the Public Accounts Committee and the Committee on subordinate legistation. He returned top the House after a gap of five years in the 1972 mid-term Assembly poll from the same constituency.

This House resolves to send its heart-felt condolences to the members of the bereaved family.

This house places on record its deep sense of sorrow on the untimely demise of Sh. Ram Sevak Yadav, M.L.A. and deputy leader of the opposition in the U.P. Vidhan Sabha.

Sh. Yadav was born on the 2nd July, 1926. He did his B.A., LL.B. from Lucknow. He was member of the District Executive of Praja Socialist Party from 1952-1956 and was General Secretary of the All India Samyuki Socialist Party. He was elected to the U.P. Assembly in 1956. He was member of the Lok Sabha from 1957 to December, 1970.

The House resolves to send its here-felt condolences to the members of the bereaved family.

This House places on record its deep sorrow on the death of Sh. U. Thant, Former Secretary General of the United Nations, on November 25, 1974.

Originally a teacher, Sh. Thant was appointed as Secretary to the Burmese Primier in 1953. He was Burma's permanent representative at the U.N. from 1957 to 1961. He was twice Secretary General of the U.N. and shwed extraordinary skill in holding the U.N. organisation together at a difficult period in its hisotry.

He was the first recipient of the Nehru's Award for promoting international understanding.

This House resolves to send its hear-felt condoleaces to the members of the bereaved family.

चौधरी चांद राम (बबैन एस.सी.) : स्पीकर साहब, जिन महान व्यक्तियों के बारे में चीफ मिनिस्टर साहब ने श्रद्धान्जली का प्रस्ताव यहां रखा है, मैं उनके साथ अपने आपकों संबन्धित करता हूं।

श्री कृश्णा मैनन के बारे में पि चमी लीडरों ने उनकी मौत के बाद भी यह कहा है कि वे एक कंट्रोवि र्यल फिग्गर थे। उनकी अपनी राय कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि मैनन साहब हमारे दे ा के महान् सपूत और दे ाभक्त थे। उन्होंने इतने लम्बे अर्से तक इस दे ा की सेवा की। बद्किस्मती से हमारे दे ा के ऊपर चीन ने एक हमला किया जिका उनको ि ाकार होना पड़ा उन्होंने अपने लीडर और प्रधान मंत्री के लिये कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि इसके लिये कोई जिम्मेदार नही हैं, इसलिये इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते है कि वे कितने बड़े दे ाभक्त थे। इसके अलावा कई बार हमारा इंटरनै ानल मीट होता था, हमें विदे ाों में उनसे मिलने का मौका मिलता था। वहां भी उन्होंने हमारे दे ा की समस्याओं के बारे मे, दे ा के विचार के बारे में बहुत मजबूती के साथ दे ा का पक्ष रखा था। मैं समझता हूं कि हमारे दे ा का एक बहुत बड़ा विचारक चला गया हैं वह स्वयं एक इंस्टीच्यूट, एक संस्था थे। संसार में आदमी आता है और चला जाता हैं लेकिन इनके कार्यो की जो छाप है, वह हमे ाा अगली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक ऐसा समढते है कि कजो वेगरज सेवा इस महान सपूत ने की और खास कर जो कुछ उनके पास था वह दे ा के लिये प्रधान मंत्री के जरिऐ से सुपुर्द कर गए। उनको श्रद्धांजलि भेंट की जाए तो है ही लेकिन मै समझता हूं कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए।

श्री जाचामाराजा वादियार, मैसूर के भूतपूर्व भाासक बहुत म ाहूर रहे है। वे दे ा के ऐसे महारथियों में से थे जिन्होंने अपनी इच्छा से राज–गद्दी को छोड़ दिया। जिस वक्त हामरे दे ा का विलय होने लगा तो दे ा के साथ चलने में वे सबसे आगे थे। एकदफा जब मैसूर गये तो हम उनका राज महल देखने के लिये वहां गये तो हमें लोगों ने बताया कि कैसे वह लोगों की तकलीफें सुनने के लिए दरबार लगाया करते थे और वह खजाने का जो पैसा होता था उसे लोगों की भलाई के लिये खर्च किया करते थे।

कुमारी मृदुला साराभाई हमारे इस दे ा की बहुत बड़ी दे ाभक्त और नेता थी आज के कंटैक्सट में मुझे यह बात याद आती हैं कि कित तरह से वह भोख अब्दुल्ला और नेहरू जी मे बातचित कराने के लिये काम करती रही लेकिन वह अपने इस प्रयत्न मे सफल नही हो सकी। उस वक्त तो वह चाहे सफल नही हो सकी लेकिन आजकल जो 1953 की पोजी ान लाने के बारे मे बात चल रही है उससे मालूम होता है कि अगर मिस साराभाई की बात को मान लिया जाता और बात हो जाती तो उसी वक्त हालात नार्मल हो जाते जो अब करने की कोि ा ा की जा रही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बात से जाहिए होता है कि वह हकीकत को पहचानने वाली महीला थी। वह ऐसी महिला थी जिनके बारे में आम तौर पर कहा जाता है और डाक्टर चन्ना रैडी जी ने भी जैसे कहा है कि अगर महीलाएं चीफ मिनिस्टर बन

जाये तो दे ा की ज्यादा भलाई कर सकती है। वह चीफ मिनिस्टर तो नही बन पायी लेकिन उन्होंने यह बात जरूर साबित कर दी कि अगर महिलाओं के हाथ में कुछ हो तो वह लोगों के जख्मो पर फाहा रख सकती है और लोगों की तकलीफे अच्छे ढंग से दूर कर सकती है।

सरदार अजायब सिंह संधु जी के बारे मे मै क्या कहूं। वह मेरे साथी थे। मेरे साथ पंजाब असैम्बली में मैंबर रहे। उनकी मौत के बाद पंजाब के लोगों ने, लीडरों ने और दे ा के लीडरों ने, उनके बारे में जो कुछ कहा वह उनकी काबलियत का सबूत है। मैं समझता हूं कि उन के चले जाने से अकाली दल को ही नुक्सान नही पहुचा है बल्कि सारे पंजाब को, सारे दे ा को और खास तौर से दलित वर्ग के लोगों को नुक्सान पहुंचा है, मुझे पता हैै कि जब वह असैम्बली में बोला करते थे और उसे मनवा लेते थे। एक दफा दे ा के साबिक डिफैंस मिनिस्टर श्री जगजीवन राम जी यहां आये तो किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा और विरोधी दल का होते हुए भी अपनी बात को मुख्य मंत्री से मनवायां अफसोस है कि बहुत छोटी उमर में वे यहां से चले गये। लेकिन इस में किसी का कोइ बस नही है मौत किसी को नही बख ाती है।

यू थांट काफी समय तक राश्ट्रसंघ के महामंत्री रहे ओर पिछड़े हुये दे ाो की भलाई के लिये दे ाो मे अमन कायम रखने

के लिये उन्होने बहुत काम किया। इसलिए उनको इस वक्त याद किया जाये यह ठीक ही है।

फिर हमारे दे ा के एक बहुत बड़े समाज सेवक और समाजवादी नेता राम सेवक जी यादव 48 साल की छोटी उमर में हमें छोड़ कर चले गये है। मुझे अफसोस है कि अभी विधान सभा में जो उनकी जीवनी पे ा की गई है उस में यह नही बताया गया कि वह भारतीय लोक दल के बहुत बड़े नेता थे और इस दल को बनाने वालो मे से एक थे। इस दल का बनाया जाना एक ऐतिहासिक घटना है। लेकिन इस के बारे में जिकर नही किया गया। यहां पर यही बताया गया कि वह पी.एस.पी. और एस.एस.पी. के पमुख ने ता थे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अब जब भारतीय लोक दल बजूद मे आ गया है तो उसे बनाने के लिये और उसे तकमील तक पहूंचाने के लिये उन्होंने बहुत पार्ट अदा किया। मैं समझता हूं कि यह उनकी वजह से मुमकिन हो सका कि यह दल बना और वह अपनी मौत से पहले यह देन दे ा को दे गये कि यह दल बनाया जाये और यह जो मल्टी पल पार्टीज है, इनको कम किया जाये। जम्हूरियत के लिये यह उनकी बहुत बड़ी देन है। बहुत कोि ा ा की गई कि उनको बचाया गया तो मरहूम रफी अहमद किदवाई के बाद इतनी बड़ी भीड़ वहां देखने में आई। कहते है कि कोई पचास हजार आदमी वहां पर इकट्ठे हुये। विरोधी पार्टी का होते हुये भी इतनी भारी तादाद में लोग उनको श्रद्धांजलि पे ा करने लिये जमा हुये।

यह तो प्रस्ताव पे ा किया गया हैं मैं उसके साथ सहमत हूं और इन सब महानुभावों को श्रद्धांजलि पे ा करता हूं और उनके परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्माओं को भान्ति मिले।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : स्पीकर साहब, बहुस सारी भाख्सियतें हम से जुदा हो गई। इन में से एक भाख्सियत इन्ट्रनै ानल भाख्सियत थी। श्री कृश्णा मैनन जी बे ाक हिन्दुस्तान मे पैदा हुए लेकिन वह इंट्रनैलन भाख्सियत थे। काफी अर्सा वह इंगलैंड में रहे और इंगलैंड में वह वहां के इन्टैलैक्चूअल तबका में गिने जाते थे। वह बार–ऐट–ला थे लेकिन इकनामिक्स के बहुत बड़े स्टूडैंट भी थे और प्रोफैसर लासकल साहब के बहुत बड़े फेवरिट स्टूडैंट थे। उन्होंने अंग्रेजों के बीच बैठ कर हिन्दुस्तान की जंगे आजादी लड़ी। उनके लॉस पर वैस्ट ने जो श्रद्धांजलि भेंट की है, वह उनकी लियाकत का, उनकी मार्काखेज भाख्सियत का सबूत है और वह यह श्रद्धांजलि डिजर्व भी करते थे। वह केरल मे पैदा हो कर इंगलैंड पढ़ने के लिये गये। यह वह वक्त था जब हिन्दुस्तानी लोग आई.सी.एस. की तैयारी के लिये वहां जाया करते थे। उनकी जो लैंड लेडी थी उसे भी यह ख्याल पैदा हुआ कि वह भी भाायद आई.सी.एस. करेंगे लेकिन उसने जो उनका तौर तरीका देखा तो उसने उनको कह दिया कि अगर आप नौकरी नही करेगे। तो थोड़े दिनों मे ही गिरफ्तार हो जाओंगे। लेकिन उन्होंने उसे कहा कि वह नौकरी नही करेगे। जब कमला

जी बीमार हुई और नेहरू जी उनको लेकर विलायत गये तो इंदिरा जी भी उनके साथ गई। इंदिरा जी वहां उन से मिली तो उन के बारे में उनके क्या ही खू तासरात थे कि वह जो ा का पहाड़ थे और हिन्दुस्तान की बात कहने मे किसी से डरते नही थे। उन्होंने अपनी सारी उमर हिन्दुस्तान के लिये और हिन्दुस्तान के लोगों के लिये वक्फ कर दी हुई थी।1947 से पहले वह इंगलैंड में बैठ कर जंगे आजादी लड़ते रहे। आजादी के बाद राईट और लैफ्ट की लड़ाई लड़ते रहे और अपनी सारी उमर इसी लड़ाई में गुजार दी। यू.एन.ओ. मे जो स्पीचें उन्होंने हिन्दुस्तान का केस प्लीड करते वक्त दी, वे एक रिकार्ड है। वह अभी नही मरे। वह पहले भी अपनी जवानी के वक्त में जब वह स्टूडैंट थें मर लिये है और यह इन्सीडैंट उनकी बिल पाव को जाहिर करता है कि कितनी मजबूत थी। सात डाक्टरों नेउनको उस वक्त डैड डिकलेयर कर दिया था कि यह स्टूडैंट डैड है। वह 15/17 कम्बलों के नीचे दबे पड़े थे जिस वक्त उनकी वह डैथ हुई। आफिसर गैलरी में उनके एक दोस्त बैठे है, वह ज्यादा जानते हैं जब उनकी ला ा को मुर्दो के कमरे मे ले गये तो उनके प्रोफैसर की वाईफ वहां आई और कहने लगी कि वह स्टूडैंट कहां है तो डाक्टरों ने कहा कि वह मर गया है। उस वक्त उस ने चिल्ला कर कहा कि इस उमर में वह आदमी मर नही सकता, उसे मुझे दिखाओं। उसने जब कम्बल उठाये तो वह मुर्दा उन कंबलों के नीचें जिन्दा कृश्ण मैनन निकला। उससे उनकी बिल पावर जाहिर होती हैं अब मैं ज्यादा न कहते हुये इतना ही कहता हूं कि वह एक बेहतरीन इन्टैलैक्चूअल थे,

जबरदस्त पैट्रियाट थे और वह हिन्दुस्तान के बेहतरीन फारेन मिनिस्टर हुये है। फारेन मिनिस्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, मैं किसी पर छींटाकसी नहीं करता सब की इज्जत करता हूं लेकिन मै यह कह देना चाहता हूं कि औरदूसरे कृश्याा मैनन जी। चौधरी चांद राम जी ने कहा कि उन्होंने बहुत त्याग किया और अपनी सारी प्रोपर्टी दे ा को दे दी,मैं कहता हूं कि क्या प्रोपर्टी उन्होंने दे दी ? तीन–चार ट्रंक इंग्लैंड में, लंदन मे कौरसपौंडैंस के है और कुछ किताबें है बाकी और क्या प्रोपर्टी थी उनके पास ? उनके पास बाकी यही था कि तीन–चार गले सड़े सूट थे जिनके साफ करने के धोबी को देने के लिए पैसे तक न होते थें कभी किसी दोस्त ने पैमैंट कर दी तो साफ करवा लिये। मै कहता हूं कि वह तो एक इन्स्टीट्यू ान थे अपने आप मे। इससे ज्यादा उनके बारे मे मै और क्या कह सकता हूं ?

स्पीकर साहब, मैनन साहब की तरह मृदुला साराभाई भी एक रिच्च फैमली में पैदा हुई। वह रिच्च फैमिली भी छोटी मोटी नही बल्कि इस तरह की थी जिसके कुत्ते भी बाद ााह की तरह रहते थे। लेकिन इस बहादुर भाख्सियत ने ऐ ापरस्ती के जीवन को नही अपनाया बल्कि गरीबों की सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। पार्टी ानके वक्त जो बहिनें पाकिस्तान में रह गई थी, उनको एक–एक करके अपना जीवन जोखिम में डालते हुए यह हिन्दुस्तान मे लाने का कार्य करती रही।

श्री राम सेवक यादव के बारे मे भी थोड़ा सा, स्पीकर साहब,मै अर्ज करना चाहता हूं। 1957 मे जब मै भी लोग सभा का मैम्बर हुआ करता था राम सेवक यादव जी भी मैम्बर थे, उस वक्त यह लोक सभा का सबसे छोटा मैम्बर हुआ करता थां इन्ही की पार्टी का एक ओर मैम्बर भी था। हम तीनों का सबसे छौटा मैंबर हुआ करता था। इन्ही की पार्टी का एक और मैम्बर भी था। हम तीनों नजदीक ही बैठा करते थे। यह भी मेरी तरह बकील था। अगर उस वक्त की प्रोसीडिग्ज को निकाल कर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कवरेज राम सेवक यादव की ही मिलेगी। वे सैकिंड लोक सभा के भी मैंबर रहे और थर्ड लोक सभा के भी मैंबर रहे। फिर वे असैम्बली मे चले गये। चौधरी चांद राम जी ने अपनी पार्टी भारतीय लोक दल के लिए उन द्वारा किए गए कार्यो का जिक्र किया लेकिन उसके साथ साथ मै यह भी कह देना चाहता हूं कि यू.पी. इलैक ांज के अन्दर भारतीय लोक दल को परली साईड से जो विक्टरी मिली, उसमे राम सेवक यादव जी का बहूत बड़ा हाथ था। स्पीकर साहब, ये कृश्णा मैनन और मृदुला साराभाई की तरह अमीर घराने मे पैदा नही हुए। ये गांव मे एक अहीर के यहां एक झौंपड़े में पैदा हुए मगर इसके बावजूद भी इन्होंने भी इन्होंने अपने लिए कुछ नही कमाया, औरों के लिए जीए और औरो के लिए मरे।

चौथी भाख्सियत, जो हमसे जुदा हो गई है, श्री अजायब सिंह संधु हैं ये एक गरीब हरिजन परिवार मे पैदा हुए

और एक झौंपड़े की जिन्दगी से ऊपर उठ कर इस हैसियत तक पहूंचे थे। एक हरिजन का एक एल.एल.बी. करना बहुत बड़ी बात हैं हाई कोर्ट मे प्रैक्टिस करने वाले असैम्बली के मैंबर हम दो ही थे। उनका दिमाग हमे ाा पोलिटिक्स मे ही रहता था लेकिन वे पोलिटिकल कैरियर बनाने वालों मे से नही थे। उन्होने हरिजनों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया। वे बड़े डैडिकेटिड थे। वे कभी अपनी आत से चूकते नही थे। मै ज्ञानी जैल सिंह जी को बधाई देता हूं कि उनकी फैमिली के लिए जो कुछ गवर्नमैंट ने किया वह काबिले तारीफ है।

इन अलफाज के साि इन चार–पांच महापुरूशों के प्रति, जो मुख्तलिफ क्लासिज के पैदा हुए, लोगों की सेवा के लिए जिनका एक रूख था, जिनमे से कैरियरिस्ट कोई भी नही था सारे डैडिकेटिड थे, मै एक बार फिर यह कहता हूं कि इस सारों का एक ही साथ मरना बहुत ही दुख की बात है।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल) : स्पीकर साहब, करोड़ो इन्सान इस दे ा में पैदा हुए और उनमे से बहुत से रोजाना मरते भी है। परन्तु एक इलैक्टिड रिप्रैजैंटटिव बौडी कुछ चुने हुए लोगों के बारे में जब भाो प्रस्ताव पार करती है तो मै समझता हूं वह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इन महानुभावों के प्रति होती है। मुख्तलिफ किस्म की आइडियौलाजी होते हुए ऐसे लोग अपने समाज और राश्ट्र के लिए होता हुें ऐसे लोगों में से ही पांच छः महानुभावों का निधन हुआ हैं उनके बारे में भााक प्रस्ताव सदन मे

प्रस्तुत हुआ है। मैं प्रत्येंक के व्यक्तित्व में न जाते हुए, मेरे आदरणीय साथियों ने जो बड़ी तफसील के साथ उनके जीवन के प्रति रो ानी डाली है, उसी से अपने आपको संबन्धित करता हूं और परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि वह इन महान व्यक्तियों को अपनी भारण के अन्दर स्थान दे और उनके जो परिवार है उनको इस दु:ख को सहन करने की भाक्ति दे। इन विचारों के साथ मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं और उन व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धंजलि पे ा करता हूं।

श्री के.एन. गुलाटी (फरीदाबाद) : स्पीकर साहब, भाोक प्रस्ताव हमारे सामने है। मैं भी मरहूम हस्तियों के प्रति श्रद्धंजलि भेंट करना चाहता हूं । माननीय कृश्णा मैनन जी से मेरी लेटैस्ट मुलाकात सन् 1970 में हुई थी। वे उस वक्त फरीदाबाद त ारीफ लाए थे। उन्हे फरीदाबाद के बारे में काफी जानकारी थी और उन्हे वर्करों भी बड़ी चिन्ता थी। वे एक फंक ान में आए थे। काफी लोगों ने उनसे बातचीत की। मैंने स्वयं भी बातचीत की। बड़ी खु ाी की बात है कि 1970 में जब मेरी बातचीत उनसे हुई तो मैंने पाया कि उनके दिल पर हरियाणा के लिए और हरियाणा सरकार के लिए बहुत अच्छा असर था। इसके साथ साथ मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। वह बात मेरी जात से संबधं रखती है। मैं उनसे एक प्र न कर बैठा। मैंने उनसे पूछा कि कृश्णा मैनन जी आप कृपया बताएं कि क्या मै सन् 1972 का इलैक ान लडूं या नही ? उन्होंने फोरन मुझे कहा कि आप जरूर

लड़े और इंडिपैंडैंट कैंडिडेट की हैसियत से लड़े, आप जीतेंगे। तो उनका अहसान मै सारी उमर नही भूल सकता। श्री कृश्णा मैनन सचमुच एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने दे ा के नाम को बहुत चमकाया। स्पीकर साहब, अच्छे आदमी संसार को छोड़ कर चले जाते हैं मगर उनकी अच्छी बातें हमे ाा हमे ाा के लिए रह जाती है। इन अल्फाज के साथ मै इन सभी महानुभावों को जो हमे ाा हमे ाा के लिए हमसे जुदा हो गए है, दिल से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

चौधरी फूल चंद (रोहट) : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव हाउस के सामन रखा है, मैं उससे दिल से सहमत हूं। मेनन साहब के बारे में तमाम दूनियां के अखबारों ने काफी कुछ लिखा है। उनकी जिन्दगी के इतने वाक्यात हमारे सामने आए, उनसे तमाम लोगों ने महसूस किया कि वे बहुत बड़ी भाख्सियत के मालिक थे। मेरे ख्याल मे अगर बड़े बड़े दस लीडरों की तकरीरों को भी मिलाया जाए तो भी उनकी तकरीरों की संख्या ज्यादा होगी। वे सचमुच बहुत महान् व्यक्ति थे। सुलह–सफाई की बात मेरे ख्याल मे उनके मन मे नही हुआ करती थी। वे बहुत बड़े फाईटर थे। चुप रहना भी उनकी तबीयत मे नही था। मेरे ख्यालानुसार बड़ी मु कल से सोते हुए ही वे भाायद चुप रहते हो। मैं एक बार उनसे मिलने के लिऐ गया। ऐसा मालूम हुआ कि वे किसी से बात कर रहे हैं पांच–सात मिनट के बाद जब मैंने झांक अन्दर देखा तो पता लगा कि अन्दर कोई नही था मगर

वे अपने आप अकेले ही किसी टौपिक पर तकरीर कर रहे थे। उनके साथ आप पढ़े–लिखें आदमी के लिए बात करना इन्तहा मु कल था। वे बड़ी छोटी–छोटी बातों पर नाराज हो जाया करते थे। वे जिन्दगी मे ंदोस्त नही बना सके। वे अपने मुखलिफ ही पैदा करते थे। वे बड़े इन्टैलैकचुअल थे, बड़े दिमागी थे, बड़े गम्भीर थे। उन्होने दे ा के लिए बड़े–बड़े काम किये। उनकी सारी जिन्दगी दे ा सेवा में बीती।

मिस मृदुला साराभाई ने इतने अमीर घर मे पैदा होने के बावजूद जो काम किये, वे भुलाये नही जा सकते । वह आराम और ए ाो–अ ारत की जिन्दगी को छोड़कर सारी उम्र भर गरीबों की झोंपड़ियों मैं काम करती रही। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का पार्टी ान हुआ तो वे कितनी हिम्मत से पाकिस्तान मे घूम–घूम कर लड़कियां को हिन्दुस्तान में लायी जो उन पर जुल्म हो रहा था, उसको उन्होंने अपना दर्द समझा।

श्री यादव जी तमाम जिन्दगी एक अनथक वर्कर रहे। उन्होंने बड़ी सेवा की। श्री अजायब सिंह संधु की अजमत, मैं इस बात से मानता हूं कि उनके निधन पर जो मुखलिफ चीफ मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह जी भी उनके गांव पहूंचे । उन्होंने सिर झुका कर कहा कि वे मेरे अच्छे दोस्त थे।

स्पीकर साहब, कितने ही कारकून हमारे बीच से उठ गये। उनके चले जाने से हमें बड़ा दुःख है। मैं ई वर से दुआ

करता हूं कि उन महानुभावों के रि तेदारों को, उनके कुनबे के लोगों को, उनके ताल्लुकेदारों को हौसला दे, हिम्मत दे ताकि वे इस भाोक का बर्दास्त कर सके।

Mr. Speaker : Hon. Members, after we met last we have lost some more digitaries who rendered distinguished service to our country.

In the passing away of late Sh. V.K. Krishna Menon, India has lost an eminent statesman and a great patriot. Sh. Menon, a great patriot and an unusually forceful contemporary, would be remembered by his country-men for his able advocacy of their cause, particularly Kashmir, in the world forums.

Sh. Wadiya, former Rajpramukh of Karnatka and Governor of Tamil Nadu was an enlishtened ruler of Mysore State who adapted himself creditably after integration of princely States with the Indian Union.

Miss Mridula Sarabhai played a notable part in the pre-Independence and post-Independence periods.

Sh. Ajaib Sing Sandhu was the Deputy Leader fothe Akali Legislature Party in Punjab Vidhan Sabha. He was a promission necently from 1972 till his death. He died in harness.

Sh. Ram Sevak Yadav, the B.L.D. Leader passed away on November 22, 1974, at the age of 48 after a brief illness. Sh. yadav wa Deputy Leader of the Opposition in U.P. Vidhan Sabha and was a member of Lok Sabha from 1957-71.

He devoted his energies for the welfare of scheduled castes, backword classes and the farmers.

Sh. U. Thant, retired Secretary General of the United Ntions, died yesterday of canceer at the age of 65. As secretary General he did commendable work for the promotion of peace in the world.

I whole heartedly associate myself with the deep feelings that have been expressed and I shall not doubt convey the sympathies of the House to the brereaved families.

No, I request you to abserve a minute's silence while standing as a mark of repsect to the deceased.

(At this stage the House stood in silence for a minute as a mark of respect to the memory of the seceased)

Mr. Speaker : Now the papers will be laid/relaid on the Table.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर साहब ऐडजर्नमैंट मो ान के बारे मे हमारी अर्ज है–

Mr. Speaker : Order Please. The state has now passed (Interruptions).

चौधरी ि िव राम वर्मा : इस बारे में हमारी एक निवेदन है – (विघ्न)

Mr. Speaker : That has already been decided. No further interuptions now.

सदन के मेज पर रखो जाने वाले पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha) : Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Haryana Land Holdings Tax (Second Amendment) Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No. 5 of 1974).

चौधरी ि ाव राम वर्मा : आप हमारा एक निवेदन तो सुन लीजिए। हरियाणा विधान सभा का सै ान हो और इस इम्पोर्टैंट मसले पर बहस न हो विघ्न

Mr. Speaker : You have said that. You cannot be allowed to repeat the same.

चौधरी ि ाव राम वर्मा : इस बारे में चिार भी न हो तो.....

Mr. Speaker : Order please.

Sardar Harmohinder Sing Chatha : I also lay on the Table a copy of the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Ordinance, 1974 (Haryana Ordinance No. 6 of 1974).

Sir, I beg to re-lay on the Table a copy each of the following notifications regarding the Haryana Aided Schools (Security of Service Rules, 1974. as required unde section 8 (2) of the Haryana Aided Schools (Security of Service) Act, 1971:-

(i) N.G.S.R. 78/H.A.10/71/S.8/74, dated the 12th June, 1974.

(ii) No. 5533-Ed.II (IE)-74/22342, dated the 18th July, 1974

सदन के पटल पर पुःन रखे जाने वाले कागज–पत्र

बहिर्गमन

चौधरी राम लाल वधवा : यह बडा अहम मसला है। (विघ्न)

Mr. Speaker : The business of the House has been entered upon and I cannot allow you to repeat the same thing now.

चौधरी राम लाल वधवा : स्पीकर सहिब यह बरिनिंग क्वै चन है। आप हमारी अर्ज तो सुन लें।

Mr. Speaker : That has been decided. And you have already said this in the House.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa : Then we walk out.

(At this stage Sarvshri Chand Ram, Ram Lal Wadhwa, Shiv Ram Verma and Dal Singh staged a walk out).

सदन के मेंज पर रखे जाने वाले/पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र

(पुनरारम्भ)

Sardar Harmohinder Singh Chatha : I also lay on the Table a copy each of the following notification regarding the amendments in the Motor Vehicles Rules, 1940, as required under section 133 (3) of the Motor Vehicles Act, 1939 :-

(i) No. G.S.R. 103-C. A.4.39/S.41/Amd. (2)74, dated the 16the August, 1974.

(ii) No. G.S.R. III/C.A.4/39/S391/74, dated the 20th September, 1974.

And, sir, the ites, at Sr. Nos. (5) to (20) may Kindly be considered to have been read-

5. Sir, I lay on the Table a copy of the Delimitation Commission of India Order No. 22, dated the 7the September, 1974, issued under section 10 (3) of the Delimitation Act, 1948.

6. Sir, I lay on the Table a copy of the Annual financial Statement (Budget Estimates) for the year 1974-75 and Revised Estimates for the year 1973-74 of the Haryana State electricity Board. Board as required under Section 61 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

7. Sir, I lay on the table the 5th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1971-72.

8. Sir, I lay on the table the 6th Annual Statement of Accounts of the Haryana State Electricity Board for the year 1972-73.

9. Sir, I lay on the table the 5th Annual Administration Report of the Haryana State Electricity Board for the year 1972-73.

10. Sir, I lay on the table the 1st Annual Report of the Haryana State Minor Irrigation (Tubwells) Corporation Limited for the year 1970-71, as required under section 619-A (3) of the Companies Act. 1956.

11. Sir, I lay on the table the 5th Annual Report and Accounts of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. for the year ended on the 31st March, 1972, as required under section 619-A (3) of the companies Act. 1956.

12. Sir, I lay on the table the 6th Annual Report of the Haryana State Industrial Development Corporation Ltd. containing the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended on the 31st March, 1973, as required under section 619-A (3) of the companies Act. 1956.

13. Sir, I lay on the table the 7th Annual Report and Accounts of the Haryana financila Corporation for the year ended on the 31st March, 1974, as required under section 38 of the State Financial Corporation Act. 1951.

14. Sir, I lay on the table the 6th Annual Report and Accounts of the Haryana State Agro-Industries Corporation Ltd. for the year 1972-73 (English and Hindi Versions), as required under section 619-A (3) of the companies Act. 1956.

15. Sir, I lay on the table the 3rd and 4th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation Ltd. for the year 1969-70 and 1970-71.

16. Sir, I lay on the table the 5th Annual Report of the Haryana Warehousing Corporation Ltd. for the year 1971-72

17. Sir, I preswent the Advance Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year1972-73, Government of Haryana.

18. Sir, I lay on the table the Audit Report and Auditor's Statement of Accounts of the Haryana Agriculture University, Hissar, for April, 1, 1971 to March 31st 1972, as required under section 34 (5) of the Haryana and Punjab Agricultural University Act. 1970.

19. Sir, I lay on the table the notification No. G.S.R. 136/P.A. 16/55S.20 Amd.(1) 74, dated the 1th November, 1974, regarding the amendments made in the Punjab Entertainment Duty Rules, 1956, as required

under section 2 (3) of the Punjab entertainments Duty Act. 1955.

20. Sir, I lay on the table the General Administration Departmet Nofificaiton No. G.S.R. 143/Const./Art./320/Adm.11/74, dated the 15the November, 1974, regarding the amendemnts in the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, as required under article 320 (5) of the Constitution of India.

सरकारी संकल्प

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) : Sir, I beg to move-

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof nproposed to be made by the Constitution (Thirty-sixth amendment) Bill, 1974, as passed by the two Houses of Parliament, which seeks to give effect to the wishes of the people lf Sikkim for strengthening Indo-sikkim co-operation and interelationship, and the short title of which has been changed into "the Constitution (Thirty fifth Amendment) Act. 1974."

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof nproposed to be made by the Constitution (Thirty-sixth amendment) Bill, 1974, as

passed by the two Houses of Parliament, which seeks to give effect to the wishes of the people lf Sikkim for strengthening Indo-sikkim co-operation and interelationship, and the short title of which has been changed into "the Constitution (Thirty fifth Amendment) Act. 1974."

चौधरी प्रताप सिंह दौलता (बेरी) : स्पीकर साहब, यह इतनी रस्मी अमैंडमैंट नही, लैजिसलैचर को बहुत सीरियराली इस बारे में विचार करना चाहिए। अपने ख्यालात का, अपने स्टेट के व्यूज का इजहार किये बिना ही साइलैन्टली इस अमैंडमैंट को अप्रूव कर देना या डिस–अप्रूव कर देना ठीक नही होगा। यह बड़ा तावारीखी वाक्या हुआ है। स्पीकर साहब, स्टेट लैजिसलेटर को बहुत ही कम मौके मिलते है जब वे इन्टरनै ानल और फौरन मैटर पर बहस करते हैं हमे केवल आर्टिल 368 ही यह मौका देती है हमारी अप्रूवल इस अमैंडमैंट में इतनी ही जरूरी है जितनी कि पार्लियामैंट कीं 368 आर्टिकल के सैंकिंड पार्ट के अन्दर यह कि आधे से ज्यादा स्टेट असैम्बलीज ऐसी अमैंडमैटस को पास कर दे तो वह कांस्टीच्यू ान मे अमैडमैंट हो सकती है वरना नहीं चाहे लोक सभा और राज्य सभा ने यह पास कर दिया हो कि अमैंडमैंट कर दी जाये लेकिन वह ऐक्सैपट नही हो सकती। इसलिए इस टोपिक पर असैम्बली में उसी तरह से बहस होनी चाहिए जिस तरह से पार्लियामैंट में करते है। इस पर रस्मी तौर पर, सरसरी तौर पर बहस नही होनी चाहिए। मैं इस अर्ज के साथ अपने ख्यालात रखना चाहता हूं कि हमें इस अमैंडमैंट के बारे मे सीरियसली विचार करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि अपोजी ान

वाले चले गये। उन्हे ऐसे मौके पर मौजूद होना चाहिए था। यह एक बड़ी अहम कांस्टीचू ानल अमैंडमैंट है। इसके द्वारा सिक्किम को ऐसोि ाएट स्टेट बनाया जा रहा है। इसके लिये हुआ यह है कि हमारी जो आर्टीकल 368 की क्लाज दो है। उसके अन्दर एक और नया क्लाज लगा दिया गया है क्लाज 'दी–ए' जिसके द्वारा सिक्किम को उसके फर्स्ट पार्ट में इन्कल्यूड कर दिया गया है। इसके मायने यह कि फस्ट पार्ट आफ दी कांस्टीच्यू ानल अमैंडमैंट के तहत जो भी स्टेट ऐसोि ायेट स्टेट के तौर पर आ गयी, उसका राईट आफ सिटीजनि ाप इंडिया का बन गया और इंडियन्ज का राइट आफ सिटीजन ाप सिक्किम मे बन गया। यह एक बड़ी खु ाी की बात है और इसके लिये मैं गवर्नमैंट आफ इंडिया को बधाई देता हूं खास तौर से सरदार स्वर्ण सिंह को जिन्होंने अपनी फारैन मिनिस्ट्री के दौरान में, हमसे जो दो अहम गलतियां हुई थी। 1947 मे,एक क मीर की और एक सिक्किम की, उनको ंअपने वक्त में रैक्टीफाई कर दियां उन पर पंजाबी जितना फक्र करे, उतना ही कम है। सिक्किम के बारे मे 1947 में यह पोजी ान थी कि यह स्टेट हमारी प्रोटैक ान मे थीं उस वक्त जो सिक्किम के महाराजा थे, वे प्रिन्स चैम्बर के मैम्बर थे। 1947 में वहां की आबादी ने भी बगावत कर रखी थी जिस तरह की और बहुत सारी स्टेटस मैं कर रखी थी। हिन्दुस्तान की फौजों ने जाकर वहां के लार्ड की जिन्दगी बचायी थी। न जाने यह हिस्सा कैसे हमारे से अलग रह गया जबकि वहां के लोगों ने उस वक्त 1947 में बगावत कर रखी थीं। इस गलती को बिल्कुल कानूनी

तौर पर उस समय ठीक किया जा सकता था। 1950 में। अभी हमारा सिक्किम का समझौता हुआ। वहां पर दो पार्टियां थी एक नै ानल पार्टी और एक कांग्रे ा पार्टी। मैं किसी मुल्क का नाम नही लेना चाहता। उस दे ा के इन्ट्रैस्ट मे नै ानल पार्टी थी। दोनों पार्टियों ने चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हम हिन्दुस्तान मे जाना चाहते है और ने ानल पार्टी ने यह कहा कि हम हिन्दुस्तान मे जाना नही चाहते। जिन्होने यह कहा कि हम हिन्दुस्तान मे नही जाना चाहते, उनको सिर्फ एक सीट मिली। अब यह कांस्टीच्यू ानल अमैंडमैंड करके सिक्किम को हिनदुस्तान का हिस्सा बना लिया गया है और बड़े तरीके से बनाया गया है। मुझे सिर्फ एक चीज का डर हैं यह जो ऐसोि ायेट स्टेट वाली चीज है, अगर इसको constitutionally कम्पलीटली मर्जर कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होता हैं यह भारत की बीसवीं स्टेट हो जाती। यह जो एसोि ाएट स्टेट बनाने चले हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि यह आम हरियाणा के आदमी के लिये खास तौर पर और हिन्दुस्तान में बाकी लोगों का भी यह तजुर्बा महंगा पड़ेगा। कुछ रियासतें ऐसी है जो यूनिटरी गवर्नमैंट सैंटर मे ंपसन्द नही करतीं जैसे डी.एम.के. है या हमारे पड़ोस मे एक पालिटीकल पार्टी है जो यह चाहती है कि कब वह वक्त आये जब स्टेट इन्डीपैन्डैन्ट हो। अगर यह ऐसोि ायेट स्टेट वाल स्टेटस ऐक्सैप्ट कर हलया जाता है। तो यह एक बड़ा डेन्जरस प्रिंसिपल है। क मीर के बारे मे जो बातचीत चल रही है, अगर उसमें नैगोि ायेट कर लिया गया तो पता नही उसमे ंक्या होगा, लेकिन

हमें डिस्कस करने का मौका नही मिलेगा। इसलिये वह फैसला जो कुछ भी हो, सिक्किम के बारे मे ऐसोि ाएट स्टेट का प्रिैसिपल हिन्दुस्तान की पार्लियामैंट ऐक्सैप्ट कर ले, यह हिन्दुस्तान की सलामती के लिये कोई अच्छी चीज नही हैं इस अलफाज के साथ मैं इस अमैंडमैंट का वैल्कम करता हूं क्योंकि इस अमैंडमैंट ने प्रैक्टिकली उसे हिन्दुस्तान में मर्ज कर दिया। उन्होंने यह एक ऐसा तरीका कर दिया कि इसमे two concepts of citizenship नहीं रहने दिया जैसे कि अमरीका मे है, बल्कि एक ही रहने दिया। सिटीजनि ाप एक है यह तो ठीक है लेकिन यह ऐसोि ायेट का स्टेटस देकर कोई बहुत अकलमन्दी नही दिखायी। इन अल्फाज के साथ यह जो अमैंडमैंट है, मैं उसकी ताईद करता हूं।

चौधरी दलसिंह (जींद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत के छत्तीसवें सं ाोधन अधिनियम 1974 का अनुसमर्थन करने के लिये हाउस के सामेन सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके द्वारा भारत और सिक्किम के लोगों के बीच मे ंसहयों को अधिक बढ़ाना, दोनो दे ाों के संबंधों को सृदृढ़ करना और सिक्किम के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक आगे चलना है यह जो अधिनियम 1974 और जिसका इस प्रस्ताव मे ंजिक्र किया गया है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सं ाोधन है क्योंकि इसके जरिये दो बहुत महत्वपूर्ण बातों को स्पश्ट किया गया है। एक यह कि सिक्किम की जनता को भारत की संसद के अन्दर दो नुमायन्दे भेजने का अधिकार दिया गया है। एक लोक सभा के लिये। दूसरी बात

इसके साथ ही यह है कि सिक्किम को सह–राज्य का दर्जा मिल रहा है। इसमे जो यह कहा गया है कि सहयोग बढ़ेगा और हमारे जो आपसी संबधं है, वे सृदृढ़ होगें, यह बात तो स्पीकर साहब, पहले मुख्तलिफ सरकारों के साथ बहुत मुख्तलिफ सरकारों के साथ बहुत बार संधियों और समझौतों के द्वारा होती रही है। सन् 1961 के अन्दर ब्रिटेन से जो संधि हुई, क्योकि ब्रिटेन यहां पर राज करता था, उसमें भी यह बात मानी गयी कि सिक्किम जो है, वह भारत का प्रोटैक्टोरेट है। सन् 1890 में जब तिब्बत की सरहद के बारे मे विवाद हुआ तो उस पर हुए समझौते मे भी यह बात मानी गयी कि सिक्किम भारत का एक भाग है। इसी प्रकार से जब दे ा आजाद हुआ तो आजादी के बाद सन् 1950 में भारत और सिक्किम के बीच डिफैन्स और विदे ा मामलों के बारे में सीधा समझौता हुआ और यह माना गया कि यह भारत का एक सुरक्षित भाग है। बात सिर्फ संधियों तक ही नही बल्कि यहां तक कि 1954 के अन्दर हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और सिक्किम के उस वक्त के प्र ाासक के बीच में एक समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत सरकार ने सिक्किम की उन्नति कि लिए 32 करोड़ रूपया दिया। सन् 1973 का वाक्या सब के सामने है। सिक्किम की जनता ने वहां के चोग्याल के खिलाफ बगावत की आवाज उठाई जिसके बाद एक त्रिपक्षीय समझौता सन् 1973 मे हुआ जो भारत सरकार, वहां वे चोग्याल और वहां पर जो राजनैतिक पार्टिया थी, उनके बीच हुआ। उस समझौते के अनुसान वहां पर चुनाव हुए और उस चुनाव मेु कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई।

सन 1974 के अन्दर उसी पार्टी ने एक प्रस्ताव द्वारा जो समझौता हुआ था। उसकी पुश्टि की और उसके साथ ही यह भी फैसला किया कि वह भारतीय पार्लियामैंट मे दो नुमायन्दे भेजे और भारत सरकार के साथ सहयोग करे। इस चीज को उन्हौंने न केवल प्रस्ताव के रूप मे पास किया बल्कि सिक्किम के कांस्टीचयू ान मे रखा गया। जो अधिनियम सन् 1974 बना और जुलाई, 1974 मे लागू किया गया उसमे ंयह प्रोवीजन रखा गया। जो भी मुख्तलिफ संधियां हुई है जिनके बारे मे मैंने यहां पर बताया है, उनको यह बात साफ जाहिर है कि सिक्किम भारत का सुरक्षित भाग रहा है। लेकिन अब इसको एक सह राज्य का दर्जा देना, जैसे कि मेरे से पहले वक्ता ने फरमाया है, मै यह समझता हूं कि यह एक बड़ी भारी गलती है। क्योंकि अब भी दे ा के कुछ पृथकताबाद फैलाने वाली पार्टियां है जो यह चाहती है कि दे ा को छिन्न–भिन्न किया जाये, दे ा को कमजोर किया जाये। पार्लियामैंट केअन्दर हुई बहस का उत्तर देते वक्त यह दलील दी गई कि क्योकि सिक्किम की विधान सभा ने यह पे ाक ा की है कि उसे सह राज्य का दर्जा दे दिया जाये इसलिये हम इसको सह राज्य का दर्जा दे रहे है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर फिर दौबारा सिक्किम की यही असैम्बली या सिक्किम की दूसरी असैम्बली यह फैसला करे कि हमारा सह राज्य का दर्जा नही रहना चाहये तो क्या भारत सरकार इस किस्म की बात फिर दोबारा करने के लिये तैयार है कल को अगर दूसरी असैम्बली आकर यह कहे कि हम आज वह बात नही चाहते तो क्या भारत सरकार फिर

कांस्टीच्यू ान के अन्दर तरमीम करने को तैयार है ? स्पीकर साहब,ख एक और बड़ी अजीब बात यह है कि ये जो सदस्य होंगे एक लोक सभा का और एक राज्य सभा का, ये राश्ट्रपति या उप–राश्ट्रपति के चुनाव में भाग न ले सकेगे। उन्हे इस बात की इजाजत नही दी गयी। यह बात बड़ी अजीब सी है कि वे राज्य सभा या लोक सभा के सदस्य हो और वे राश्ट्रपति या उप–राश्ट्रपति के चुनाव में भाग न ले से। इसके अलावा जो चीफ एग्जैक्टिव आफिसर होगा, भारत सरकार उसकी नामजदगी करेगी। सिक्किम का चोग्याल उसको अप्वायंट करेगा और चीफ एग्जैक्टिव अफिसर जो होगा वह स्पीकर के कार्यभार का संचालन करेगा। स्पीकर साहब, यह बात कितनी अजीब है कि एक सरकार नामजदगी करे और दूसरी सरकार उसकी अप्वायंटमैंट करे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सिक्किम का चोग्याल मान लो, अप्वाएंटमैंट करने से इंकार करता है तो भारत सरकार के पास कौन सी चीज है जिसके द्वारा वह चोग्याल से अप्वांटमैंट करवाएगी। इस प्रकार की कुछ खामियां जिनकी वजह से हमारे पड़ौसी दे ा नेपाल, पाकिस्तान और चीन ने हामरे खिलाफ आवाज उठाई। चीन ने भुटान के अन्दर छोटे–मोटे कारखाने लगाये है, उसने वहां पर कम्यूनिजम का प्रचार किया है और आज हालत यह है कि भुटान के अन्दर महात्मा गांधी की तस्वीर मकानों मे नही लगायी जा सकती। स्पीकर साहब, सब से बड़ी कमी इसमे यह है कि सिक्किम का पूरी तरह से भारत के अन्दर मरजर नही किया गया है। पूरी तरह से मिला किया गया हाता तो ये भाकूक

पैदा नही होते। नेपाल के लोगों ने प्रद र्न किया, विद्यार्थियों ने प्रद र्न किया। क्यों किया इसलिए किया कि सिक्किम में 70 प्रति ात आबादी नेपाली लोगों की है लेकिन नेपाल के लोग यह आवाज उठाते है क्योंकि उनके दिमाग के अन्दर भाकूक है कि कहीं ऐसा न हो कि गलत बात हो जाए। यह जो भाकूक वाली बात है, मैं समझता हूं कि कुछ मायने रखती है और गलत भी है वरना यह जो प्रस्ताव है यह ठीक है लेकिन एक बात सरकार को ध्यान मे रखनी है कि कोई भी जो इस दे ा के टुकड़े करना चाहता है या इस दे ा को कमजोर करना चाहता है उनकी बात को किसी भी प्रकार से न सूने। इन भाब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

चोधरी राम लाल वधवा (करनाल) : स्पीकर साहब, विधान का 36वां सं ाोधन बिल सदन मे ंप्रस्तुत है ओर उस पर अपनी सरकार का एक प्रस्ताव उसको रैटीफाई करने के लिए आया है। भारतीय जनसंघ पार्टी और उसके सदस्य इसका स्वागत करते है क्योकि सिक्किम की जनता की एक बहुत पुरारी इच्छा पूरी हो रही है। 1947 में जब यह दे ा स्वतंत्र हुआ अगर उस समय के इतिहास में जाएं तो हमें यह मिलेगा कि सिक्किम की जनता की इच्छा थी कि सिक्किम का मुकम्मल तोर पर भारत के अन्दर विलय होना चाहिए। हम नहीं कह सकते कि उस समय के क्या हालात थे ? अपनी सरकार के सामने क्या अड़चने थीं ? उस समय इसको प्रोटैक्टोरेट स्टेट के रूप में रख़ा गया। उसे यह अन्दाजा लगाया

जाता था कि भारत एक इम्पीरियलस्टि दे ा है और दूसरे कन्टरी पर एक प्राकर से कब्जा करके बैठा है। हमें प्रसन्नता है कि 1973 के अन्दर भारत सरकार, चोग्याल और सिक्किम की पोलीटिकल पार्टी के बीच एक मुहायदा हुआ और उसके अनुसार सिक्किम के अन्दर एक चुनी हुई असैमबली बनी और जुलाई, 1974 के अन्दर उस चुनी हुई असैम्बली ने अपनी मन्जूरी दी कि उसके दो सदस्य पार्लियांमैंट के सदस्य होंगे और इसीलिए संविधान के अन्दर 36वां संघोधन करना पड़ा। वही सं ोधन आज भारत की असैम्बलियों के अन्दर रैटिफाई करने के लिए भेजा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिक्किम कोई अलहदा नहीं था और हमारी हही संस्कृति और तहजीब व तमद्दुन के लोग वहां रहते हैं। हमारे कांस्टीच्यू ान का आर्टिकल 2 जो हैं, मैं नहीं कह सकता कि कल को अगर कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट में चैलेन्ज कर दे तो क्या स्थिति होगी। कांस्टीच्यू ान के आर्टिकल 2 और 3 के अन्दर लिखा है:—

"Article 2. Admission or establishment of new States

Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it think fit.

Article 3. Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.

Parliament may by law:-

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) after the boundaries of any State;

(c) after the name of any State;

Provided that no Bill for the pupose shall be introduced in either House of Parliament except on the recommendation of the President and unlee where the proposal contained in the Bill affect the area, boundaries or name of any of the States, the Bill has been referred by the President ot the Legislature of that State of expessin its views theeon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow an the perod so specified or allowed has expired."

स्पीकर साहब, अपने विधान का जो अर्टिकल 2 है वह कहत हे कि नई स्टेट ऐडमिट की जा सकती है उनमे जैसे पंजाब और हरियाणा दो स्टेटस सैपरेट हुई इस तरीके से किसी की बाउंडरी बढ़ाई जा सकी है या घटाई जा सकती है। स्पीकर साहब, कांस्टीटचयू ान को बनाया और उसके पीछ एक भावना थी। आज यह जो आर्टिकल 2 (ए) इके अन्दर भाामिल की जा रही है जो हमारे सामने है उसमे ंकहा गया है।

"2 S.Sikkim, which comprises the territories specified in the Tenth Schedule, shall be associated with the Union on the terms and conditons set out in that Schedule."

तो स्पीकर साहब, आर्टिकल 2 के अन्दर हम इस सिक्किम की स्टेट को अपने अन्दर कम्पलीट मरज करके, अमेलगामेट करके, इसका विलय करके एक नई स्टेट का रूप दे सकते थे, इसको ऐडमिट कर सकते थे लेकिन आर्टिकल 2 ऐ के अन्दर इसको ऐसा ाएट स्टेट का दर्जा कि दिया जा रहा है, यह एक खतरनाक रूझान है। हमारे लिए एक मु कल बात यह है कि कांस्टीट्यू ान के आधार पर यह जो रैटिफिके ान के लिए बिल आया है, इसके अन्दर हमारे हाथ बन्धे है। उसके अनुसार हम इसको एक्सैप्ट कर सकते है या रिजैक्ट कर सकते है। तीसरा कोई और कोर्स नही है। लेकिन सदन के सामने जो रेटिफिके ान रखा है, उसका स्पागत सिर्फ इसलिए हम कर रहे है कि भारत का एक हिस्सा जिसकी संस्कृति, सिकी परम्परा, जिसकी तहतीबी व तमद्दुन हमारी जनता की तरह है और वहां की जनता सो ाली राजनैतिक आधार पर और इक्नोमिकली आज तक पिछड़ी हुई है। जिस प्रकार से हमने छः सौ रियासतों को हटाया, उनका भारत के अन्दर विलय किया और वह इसीलिए किया कि उन रियासतों के राज महाराजे स्टेट के अन्दर रहने वाले लोगों की बहतरी और बहबूदी का ख्याल नही रखते थे इसी प्रकार से सिक्किम का चोग्याल भी राजा के तौर पर व्यवहार करता था और इसका प्रमाण भी हमारे सामने है कि वह आज तक इसके अन्दर कइ

प्रकार की अड़चने डालने की कोि ा ा कर रहा है। लेकिन वहां की जनता हमारे साथ है। स्पीकर साहब, राश्ट्र के अन्दर एक राश्ट्रवाद होता है। मुझे दुख है कि 27 साल का अर्सा गुजर जाने के बाद भी हमारी भारत सरकार का आज तक अपने राश्ट्र की राश्ट्रीयता और राश्ट्रवाद का मुकम्मल चित्र हमारी आंखों के सामने नही आया।

इस दृश्टि के अनुसार आज, स्पीकर साहब, यह बात हमारे सामने आ रही है। सिक्किम को एक ऐसो ीिएट असैम्बली कहा जा रहा है लेकिन ऐसो ीिऐ ान तो दो कन्ट्रीज की हो सकती है, दो असैम्बलीज या एक पार्लियामैंट और एक असैम्बली की ऐसोसीऐ ान नही हो सकती। स्पीकर साहब, इससे आग अगर हम जांए–जैसे सिक्किम की असैम्बली ने यूनैनीमस यह प्रस्ताव पास किया या एक बिल उन्होंने पास किया कि सिक्किम को हम भारत के साथ ऐसोि ायेट करते है तो यह आर्टीकल 2 ए उसमें नई डाली गई है। कल को अगर सिक्किम की असैम्बली यूनैनीमस तोर पर यह कोई चुनाव के अन्दर किसी पार्टी का कोई मैंबर चुनकर आए जोकि इसका विरोध करता हो और फिर अगले चुनाव में अगर वह सारी पार्टी बरसरे इक्तदार आ जाती है। और वह यूनैनीमस तौर पर, मैजोरिटी के तौर पर यह प्रस्ताव वहां पर पास करती है या एक बिल वहां पे ा करती है कि हम भारत के साथ अपनी ऐसो ीिऐ ान को समाप्त करते है तो उस सतय किस ⁄पकार की गंभर स्थिति हमारे यहां उत्पन्न हो जाएगी ? स्पीकर

साहब, सिक्किम काक अपना एक दर्जा है। सिक्किम एक ऐसे स्थान के ऊपर है तिसके साथ हमारा भात्रु बैठा हुआ है और वह भारत के ऊपर आक्रमण करने की बात 24 घण्टे सोचता रहता है। सिक्किम का भारत के जीवन के साथ एक बहु त बड़ा संबंध है। इस प्रकार से एक तो जो कांस्टीच्यू ान की भावना थी, जिस भावना के साथ कांस्टीच्यू ान को बनाया गया था, उस भावना को हम दृश्टिगोचर न रखते हुए, आज यह जो एक नई आर्टीकल ऐसो ीये ान की उस में जोड़ रहे है, मैं समझता हूं, यह ठीक नही हैं इस रैटीफिके ान की, जिसका कि हम स्वागत करते है, जिसके लिये हम भारत सरकार को बधाई दे रहे है, हम सराहना करते है कि उन्होने भारत के एक अलग बैठे हुए अंग को अपने साथ जोड़ने की कोि ा ा की है लेकिन स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की एक और गंभीर स्थिति हमारे सामन है जिसकी ओर मै आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि आज इस ऐसो ीऐ ान ने जो एक भावना दे ा के अन्दर उत्पन्न कर दी तो अगर कल को हरियाणा की असैम्बली यह रैजोल्यू ान पास करे कि हम भारत के अन्दर नही रहना चाहते और आर्टीकल 2 ए के नीचे हमे भी ऐसो ीऐट करके रखा जाए.....(विघ्न)

एक अवाजः हमारे लिये कांस्टीच्यू ान तो यह प्रोवाईडिड ही नही हैं ऐसा तो हो ही नही सकता।

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, जब इन्होंने जोड़ना हो तो यह कहते है कि यूं तो हो सकता है। जब इन्होनें कोई बात नही करनी होती है तो कह देते है कि यह नी हो सकती। काम को करना हो तो यह कर लेंगे। तो स्पीकर साहब, मेरा कहने का भाव यह था कि राश्ट्रवाद आत्मीयता की भावना और सारे दे ा के लोगों के समान अधिकार हम अपने कांस्टीच्यू ान के अन्दर मानते है। आप प्रिऐम्बल के अन्दर देखिये। प्रिऐम्बल मे है–

"We the PEOPLE OF INDIA having solemnly resolved to constitue India into a SOVEREIGN MEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens;

JUSTIC, social economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the nation;"

एक अवाज: बहुत हो गया भाई, अब बैठ जाओ।

चौधरी राम लाल वधवा: मै तो अभी बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, अगर स्पीकर साहब कह दे तो मैं बैठ जाता हूं।

Mr. Speaker: Please continue. No repetition please.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, जहां पर ऐसोि ाऐ ान की बात आ जाएगी वहां इक्वैलिटी आफ स्टेटस एण्ड अपर्चुनीटी नही रहेगी। यूनिटी आफ ने ान का मतलब तो, स्पीकर साहब, यह होना चाहिये कि आत्मीयता होनी चाहिये। सब को समान अधिकर हो, सब को समान रहने का हक हो, सब को इक्वैलिटी आफ ला और सबको सो ाल जस्टिस मिले। कुछ रिसपान्सीबिलीटी तो भारत सरकार ने ले ली है बाकी का क्या होगा ? इसके साथ साथ स्पीकर साहब, एक और बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त कयंगा कि इससे कितना खतरनाक रूझान पैदा होगा। हम देख हरे है कि एक तरफ तो भारत सरकार सिक्किम को साथ लेने के लिए चोग्याल के भाासन को समाप्त करने के लिए आर्टीकल 2 ए की बात लागू कर रही है और दूसरी तरफ वही भारत सरकार भोक्ष अबदुल्ला को खु ा करने के लिये जम्मू और क मीर को स्पै ाल अटानमी देने की बात कर रही है। तो इस तरीके से एक बड़ी कम्पलीके ान खड़ी होने की बात हैं मैं इस विचारों के साथ जो कि रैटीफिके ान के साथ जोने चाहिये, स्पीकर साहब, इस रैटीफिके ान का स्वागत करता हूं और सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे स्वीकार करे।

Mr. Speaker: Question is—

That this House ratifies the amendemnts to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of article 368 thereof, proposed to be made by the constitution (Thirty-sixth Amendment) Bill, 1974, as passed by

the two Houses of Parliament, which seeks to give effect to the wishes of the people of Sikkim for strentheing Indo-Sikkim co-operation and inter-relationship and the short title of which has been changed into "the Constitution (Thirty fifth Amendment) Act, 1974.

The motion wa carried

दी हरियाणा कंटींजैंसी फन्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1974

Finance Minister (Shri Ram Saran Chand Mital): Sir, I am to oppose the introduciton of the Bill.

Mr. Speaker: The intoduction cannot be opposed.

(At this stage the Deputy Speaker occupied the Chair)

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर सहिबा, मैं प्वायंट आफर आर्डर पर खड़ा हुआ हूं । मेरा प्वायंट आफ आर्डर है कि मैं इस बिल की इन्ट्रोडक ान को रूल्ज के तहत अपोज करता हूं। यह हरियाणा कैटीन्जैन्सी बिल जो है इस बारे मे 122 रूल को देखे। उसमे यह लिखा है:

"122. any member desiring to move for leave to introduce a Bill shall give fifteen day's notive of his intention and shll, together with his notice submit a copy of the Bill and a full statemnet of objects and reasons."

तो इसके लिये 15 दिन का नोटिस होना चाहिए। 26 तारीख को सै ान बुलाया गया और अस तरह से 15 दिन का

नोटिस बनता नही। हमारे पास यह बिल कल ही पहूंचा है तो इसलिये यह बिल इन्ट्रोडयूस नही हो सकता। इस पर डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं।

उपाध्यक्षाः इस वक्म तो यह बिल लीव टू इन्ट्रोडयूस है क्योकिं यह बिल पहले गजट में छप चुका है।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर सहिबा, लीव टू इन्ट्रोडयूस जो आप कर रहे है उसको मै अपोज करता हूं।

Deputy Speaker: It is further written in the rule that:-

"Provided that the speaker may, for sufficient reasons, allow the motion for leave to introduce a Bill to be made at a shorter notice."

चौधरी राम लाल वधवाः क्या इसके लिये स्पीकर साहब ने इजाजत दे दी है जी ? (विघ्न) अगर स्पीकर साहब ने इजाजत दे दइी होती तो वह यह अनांउस करते कि हमने इनकी डिले कनडौन कर दी है। पर that is not on the agenda that the delay has been condoned under this rule. Since this has not been done, the Bill cannot be introduced.

Deputy Speaker: The Bill has alrady been published in the gazette and it is not necessary for the Speaker to make announcement.

Caudhri Ram Lal Wadhwa: Madam, Duputy Speaker, I again invite your attention to Rule 122 of the rules of Procedure and Conduct of Business int he Haryana Legislative Assembly.

उपाध्यक्षा: चौधरी राम लाल जी, स्पीकर साहब को यह पावर्ज है कि वे रीजन काल और फिर अलाड कर दे।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: This is not on the agenda then how can the Members know about it?

Deputy Speaker: It is not necessary that it should come on the agenda. This is my ruling and I will request the Hon. Minister that he should introduce the Bill. (Interruptions)

चौधरी चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, रूल्ज तो रूल्ज ही होते है। रूल्ज में यह लिख है–

"Provided that the Speaker may for sufficient reasons....."

Deputy Speaker: Order please.

चौधरी दलसिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जो अर्ज कर रहा हूं वह एक लीगल बात हैं रूल्ज के मुताबिक एजैडे के ऊपर यह चीज आनी चाहिए कि डिले कन्डोन कर दी गई है। मुझे समझ नी आता कि हरियाणा कि असैम्बली मे हो क्या रहा है ? सरकार की मर्जी है कि वह सै ान बुलाने के लिए 15 दिन का नोटिस दे या न दे। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनके पा बिजनैस ही तैसार

नही है, तो इनको किसने कहा कि फौरन सै ान बुला लो (विघ्न व भाोर) डिप्टी स्पीकर सहिबा, मै आपका ध्यान इस ओर इसलिए दिला रहा हूं कि यह एक कनवैन्ा ान बनती जा रही है। यह स्कूल तो है नही कि चले गए और कायदा पढ़ कर आ गए। हमारे पास 25 तारीख को बिल आए, आखिर हमने भी तो देखना है कि इसकी बैक–ग्राडंड क्या है और कई प्रकार की चीजें देखनी होती हैं तो इतने थोड़े समय में इनकी स्टडी नही की जा सकती।

Deputy Speaker: Please take your seat. आपने कहा है हो क्या रहा है ? यहां पर क्वै चन्ज, रैजोल्यू ान्ज और बिल्ज डिस्कस हो रहे है।

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: And without proper nitice to the Membes. डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप हामरे राइटस की कास्टोडियन हैं आपने हमारी सुरक्षा करनी है और हमे प्रोटैक ान देना है। हम यहां असैम्बली में इस लिए आए है कि जो इम्पौटैंट मसले है, उनको देखें। लेकिन हमें नोटिस भी समय पर नही मिलता और न बिल वगैरह ही समय पर मिलते हैं आखिर पढ़ने के लिए तो टाईम चाहिए। इनके पा मैजारिटी है, अगर ये वैसे ही हाथ खड़े करवा कर बिल पास करवाना चाहें तो करवा ले। इसके अलावा हम यह भी चाहते हैं कि हर चीज एजेंडे पर आनी चाहिए।

Deputy Speaker: Yes, the Hon. Member is saying that is should come on the agenda. Please read the Rules and

tell where it is stated that it should come on the agenda that the Speker has condoned the delay.

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर सहिबा, आप सरकार के कान खींचिए कि सरकार इस तरह का व्यवहार न करे। जब इसके पास बिलनैस तैयार हो जाए, तब नोटिस दें। पता नही हरियाणा मे क्या जुल्म हो रहा है कि इतना जल्दी कर रहे है। जहां जुल्म हो रहा है, उस पर हमे बात तक नही करने देते। ये चार बिल पकड़ा दिए कि बात करो और भाग जाओ।

Deputy Speaker: Please take your seat. I would request the Hon. Minister that he should please introduce the Bill.

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं रूल पढ़कर सुनाता हूं, रूल्ज में यह लिखा है:–

:Provided that the Speaker many for sufficient reasons....."

इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इसके रीजन्ज क्या थे ? इसमें लिखा है कि स्पीकर रीजन्ज के साथ भाार्ट पीरियड की इजाजत दे सकता है लेकिन हम रीजन पूछना चाहते हे कि वे क्या थें आपदेख ले कि पहले अगर कोई बिल भाार्ट नोटिस पर इंट्रोडयूस हुआ है, तो नोटिस मे स्पीकर की मंजूरी होती है कि फलां रूल के तहत इस बिल को भाार्ट नोटिस मे इंट्रोडयूस करने की इजाजत दी जाती हैं इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर कोई

सफीि ाऐंट रीजन्ज हो, तब तो ठीक है वरना इंट्रोडयूस नही हो सकता।

उपाध्यक्षाः आप एक ही चीज चाहते हैं कि 15 दिन का पूरा नोटिस होना चाहिए और भाोर्ट नोटिस पर बिल यहां पे ा नही हो सकता। इस संबंध में मैरे रूल आपके सामने पढ़ दिया हैं अब आप कहते है कि यह एजेंडे के ऊपर आना चाहिए, तो आप मुझे बताएं कि यह कौन से रूल मैं लिखा है कि यह एजेंडे पर आना चाहिएं आपको यह भी मालूम होगा कि यह बिल गजट मे आ चुका है। आप रूल 128 पढ़े।

चौधरी चांद रामः यह यहां पर एप्लाइग नही होता, उसमे तो यह लिखा है कि–

"As soon as may be after a Bill has been introduced....."

तो यह बाद में पब्लि ा कब होगा ? अगर यह पब्लि ा न हुआ हो और इंट्रोडयूस पहले हो गया हो, तो उसके बाद में पब्लि ा होगा।

उपाध्यक्षाः यह तो पहले ही गजट हो गया है, नीचे भी तो पढ़िए It is further laid down-

"Unless it has already been published, shall be puvblished int he gazette."

चौधरी चांद रामः यह बाद की चीज है और ये बाद में फालो करते है।

Deputy Speaker: Please read Rule 128, wherein it is stated—

"Provided theat the Speazker, on request being made to him, may order the publicaiton of any Bill (together with the Statement of objects and reasons, the memorandum regarding delegation of Legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette, although no motion has been made for leave to introduce the Bill. In theat case, it shall not be necessary to move for leave to introduce the Bill, and if the Bill is afterwards introduced, it shall not be necessary to publish it again."

चौधरी चांद रामः यह पब्लिके ान से ताल्लुक रखता है और इस मामले में पब्लिके ान हो चुका है। लेकिन पब्लिके ान का यह मतलब नही है कि हाउस से इंट्रोडयूस करने की लीव मांग ली गई है।

उपाध्यक्षाः मैंने जो रूल पहले पढ़ा था, उसमे यह था कि स्पीकर को यह पावर हैं आपनका एतराज यह कि 15 दिन के नोटिस से पहल`बिल इंट्रोडयूस नही होना चाहिए। तो उस रूल मे यह प्रोवीजन है कि स्पीकर अगर चाहे तो 15 दिन से कम नोटिस वाले बिल को भी इंट्रोडयूस करने की इजाजत दे सकता हैं दूसरा आपका एतराज यह था कि यह एजेंडे पर आना चाहिए था। इसके

बारे में मैंने आपको कहा था कि आप कोई रूल दिखा दे, जिसके मुताबिक यह एजेंडे पर आना चाहिए।

चौधरी चांद रामः यह एक कनवैन् ान है। स्पीकर अगर सफीि ाऐंट रीजन देखेगा तो बिल 15 दिन से पहले इंट्रोडयूस हो सकता है।

उपाध्यक्षाः जो गजट मे पब्लि ा हो जाए, उसके लिए लीव की जरूरत नही है, उसको इंट्रोडयूस किया जा सकता है।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल)ः मैडम, इसमें थोड़ी सी मिस–अंडरस्टैंडिग हैं इसमें दो स्टैप्स होते है। एक तो लीव टू इंट्रोडयूस और दूसरा होता है टू इंट्रोडयूस करने का। स्पीकर लीव टू इंट्रोडयूस डिस्पैन्स विद कर सकता है।

"Any member desiring to move for leave to indroduce....." (Interruptions)

स्पीकर वह डिस्पैंस विद कर सकता है और फिर जब लीव टू इंट्रोडयूस दि बिल डिस्पैन्स विद हो जाती है तो लीव मांगने की जरूरत नही रहती है और बिल एजेंडा पर आ जाता है। (विघ्न)

चौधरी चांद रामः लेकिन डिस्पैंस विद क्यों किया गया, इसके रीजन्ज भी तो सफीि ाऐंट चाहिए। वह क्या है यह भी बता दो।

Deputy Speaker: Please listen to the Hon. Finance Minister.

Shri Ram Saran Chand Mital: There are tow things (i) to move for leave to introduce the Bill; and (ii) to introduce the Bill. लीव लेने के बारे में तो स्पीकर साहब ने एग्जैम्प ान दे दी, लेकिन फिर कहते है कि साहब रीजन बताओं कि क्यों ऐसा किया तो मै अर्ज करता हूं कि हाउस मे लीव लेने के लिए डिबेट नही होता है सिर्फ रिक्वैक्ट की जाती है That is only a request to the Hon. Spaker and if he grants it then the Bill comes on the agenda for itroduction. If the hon. Member does not understand it, I cannot give him my brains. (Interruptions)

Deputy Spaker: Order please. I am the Chair and I allow him to introduce the Bill.

Shri Ram Saran Chand Mital: Madam, I beg to introduce the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill, 1974.

Madam, I also beg to move—

That the Haryana Contiongency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

Caudhri Ram Lal Wadhwa: On a point of order. Madam, rule 122 says-

"Any member desiring to more for leave to introduce a Bill shall give fifteen days notive of his interntion and shall,

together with his notice submit a copy of the Bill and a full statement of objects and resons:"

The word "full" has been used in the rule. But the Statement of Objects and Resons given here says-

"This Bill seeks to enhance the Contingency Fund of the State of Haryana from one crore rupees to three crore rupees as the former has been found to be indequate."

यह तो आब्जैक्ट दिया गया है कि एक करोड़ से तीन करोड़ यह फंड करना चाहते है। क्योकि यह इनऐडीक्वेट है, लेकिन रूल्ज के मुताबिक रीजन्ज नही दिए गए कि यह क्यों इनऐडीक्वेट है और कम पड़ रहा है। But what are the reasons for inadequancy, those have not been mentioned. इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि यह बिल रूल 122 के मुताबिक नही पे ा किया गया हैं और इस रूल को कम्प्लाई विद नही किया गया है इसलिए यह पे ा नही हो सकता और यह वापस होना चाहिए।

Deputy Speaker: Mr. Ram lal, The statement of object and reasons has been given and you can read that. You amy admitit or not but statement of objects and has been given. It says-

"This Bill seeks to enhance the Contingency Fund of the State of Haryana from one crore rupees to three crore rupees as the former has been found to be indequate."

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: This is the object and not the reasons for enhancement. This is only the object.

Deputy Speaker: It is written "..... as the former has been found to be indequate." It covers both the objects as well as the reasons.

चौधरी दलसिंह (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो मिनिस्टर साहब की तरफ से हरियाणा कन्टैंजैंसी फंड ऐक्ट, 1966 को अमैंड करने के लिए बिल पे ा किया गया है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नही है और यह पास नही किया जाना चाहिए। यह कहते है कि एक करोड़ रूपए कन्टैंजैंसी फंड कम है, इन ऐडीक्वेट है, इसलिए यह बढ़ा कर तीन करोड़ रूपए करना चाहते है। लेकिन मै इन से यह पूछना चाहता हूं कि इनको यह कब पता चला कि यह फंड कम पड़ता है और पिछले आठ साल मे इनको यह जरूरत क्यों महसूस नही हुई कि इसे बढ़ाया जाए। अगर इन्होंने अब महसूस किया है तब तो बात कुछ समझ मे आ सकती है, लेकिन मैं पूछता हूं कि पिछले आठ साल मे 1966 से 1974 तक तो यह सरकार चुप बैठी रही और इसे यह कमी महसूस नही हुई, लेकिन अब कैसे जरूरत पैदा हो गई कि यकदम एक से तीर करोड़ कर दिया जाए। इस बारे मे इनको बताना चाहिए था कि क्या कारण है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब स्टेट के कन्सालीडेटिड फंड मे से जब जरूरत पड़े स्पलीमैंट्री डिमांडज के जरिए एप्रोप्रिए ान बिल पास करके पैसा लिया जा सकता है और लिया भी जाता है तो फिर इस बात को लोने की क्या जरूरत हे कि इस फंड को तीन करोड़ रूपए कर दिया जाए। मैं समझता हूं ति इस बिल के लाने और पास करने की कोई जरूरत नही है।

जब हम कहते है कि स्कूल खोलो, सड़कें बनाआ, तो कहते है कि फंडज नही है, लेकिन अब एकदम एक से तीन करोड़ फंड बढ़ाने की बात कर रहे है। यह बात ठीक नही है, यह तो इस तरह की हजारों किताबें छपवा कर बांटने के लिए रूपया जाया करना चाहते है। इस लिए मै इस बिल का विरोध करता हूं, और यह पास नही होना चाहिए।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी मैंने स्टेटमैंट आफर आब्जैक्टस एंड रीजंज पढ़कर बताया था कि इन्होंने कोई रीजन नही बताया कि यह फंड क्यों बढ़ा रहे है और यह क्यों कम पड़ रहा है। यह तो हम से, अंधेरे मे रखकर, बिल पास करवाना चाहते है कि यह जरूरत इनको क्यों पड़ी है कि एकदम एक से तीर करोड़ रूपये लेने के लिए बिल पास करवा रहे है। जब हम कहते है कि स्कूल नही सड़कें नही, और बाकी कोई काम डिवैल्पमैंट के नही हो रहे तो कहते है कि फंड्ज नही लेकिन इस फंड के लिए तीन करोड़ रूपए हमसे ले रहे है।

सिंचाई और बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): यह बात तो दलसिहं जी कई बार कह चुके है आप कोई नई बात कहो, रिपीट न करो–(हंसी)–

चौधरी राम लाल वधवा: बिजली के मामला मे तो सरकार का दिवाला निकल रहा है, लेकिन यह पुस्तकें छाप–छाप

कर हमे भेजी जा रही है। दसों यह किताबें छप कर हमारे पास आ गई है और खामख्वाह पैसा जाया किया जा रहा है। अगर इसी तरह से पैसा खराब करना है तो यह बात ठीक नही है। यह पैसा आप बिजली संकट दूर करने के लिए, थर्मल प्लांटस लगाने पर खर्च करो और दूसरे डिवैल्पमैंट के कामों पर खर्च करो, लेकिन इस तरह की फजूल खर्चियां करना आपके लिए अच्छी बात नही है और इन फजूल खर्चियों के लिए एक करोड़ से तीन करोड़ फंड बढ़ाने की इजाजत नही होनी चाहिए मैं इस बिल का पुरजोर से विरोध करता हूं। यह वापिस होना चाहिए।

चौधरी मेहर चंदः डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसबिल के बारे मे अपोजी ान के इन भाइयों ने जो एतराज किए है उनकों सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई और यह देखकर हैरानी हुई कि इनको इस बात का पता ही नही है कि कन्टैन्जैंसी फंड क्या होता है और वह किस लिए होता है। इन्होने कह दिया कि कन्टैंजैंसी फंड खर्च किया जाएगा ओर इसकी फजूल खर्ची की जाएगी। इनको पता होना चाहिए कि यह फंड खर्च नही होता है। अमरजैन्ट वर्कस के लिए इस फंड मे से पैसा निकाल लिया जाता है ताकि एमरजैंसी के काम न रूकें और बाद में लैजिस्लेचर से उस खर्च की मंजूरी लेकर उसे रीकूप कर लिया जाता है। तो मैं इन भाईयों को बताना चाहता हूं कि यह कन्टैंजैंसी फंड न तो खर्च होता है बल्कि जमा पड़ा रहता है और नह ही इसका बजट पर कोई असर पड़ता है। इसलिए इन भाईयों ने जो बाते

इधर–उधर की इस बारे में कही है, गलत कही है और जो आपत्ति उठाई है, गलत उठाई है। यह तो सिर्फ एडजैस्टमैंट आफ अकाउन्टस की बात है और कोई खर्च करने, होने वाली बात नही है। इसलिए यह जो फंड की लिमिट बढ़ाई जा रही है, वह ठीक है और इस बिल को पास किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चौधरी मेहर चन्द का म ाकूर हूं कि उन्होंने इन भाईयों को यह बात समझा दी है और अब इन की सारी बात का पता चल गया होगा कि यह कन्टैंजैंसी फंड क्या होता है। और किस मतलब के लिए होता है। यहां एक भाई ने एक बात यह भी कह दी कि जब 1966 से लेकर आज तक इसे बढ़ाने की जरूरत पड़ी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यह कन्टैंजैंसी फंड ऐक्ट हरियाणा का ही है और हरियाणा मे ही 1966 मे पास हुआ था और उस वक्त फंड बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया थां इसलिए यह जो कहा गया कि पहले ऐसा करने की क्यों जरूरत नही पड़ी, गलत कहा गया है। यह पहले भी ऐक्ट तरमीम हो चुका है और उस वक्त के हालात के मुताबिक इस फंड की लिमिट बढ़ाई गई थी और अब हम उस लिमिट को बढ़ाकर जो पहले एक करोड़ की गई थी, तीन करोड़ करना चाहते है क्योंकि मौजूदा डिवैल्पमैंट के कामों को देखते हुए ऐसा करना जरूरी समझा गया है।

चौधरी दलसिंह: आन ए प्वांयट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, बिल के ऊपर इन्होंने लिखा है, "A Bill to amend the

Haryana Contingency Fund Act, 1966" अब कह रहे है कि 1967 में अमैंडमैंट भी हुई थीं मै यह जानना चाहता हूं कि इन्होंने बिल में 1966 क्यों लिखा, 1967 क्यों नही लिखा ?

उपाध्यक्षाः यह बात तो आप अपनी स्पीच मे भी कह सकते थे। यह कोई प्वांयट आफ आर्डर नही है।

श्री राम सरन चन्द मित्तलः डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब इन्हे मै क्या बताऊं ? यह ठीक है कि सन् 1967 मे अमैंडमैंड हुई, परन्तु ऐक्ट तो 1966 का ही रहेगा। उसमे अमैंडमैंटस तो होती जाएगी। ये न तो पढ़ते है, न समझते है, बस यूं ही एतराज किए जाते है।

दूसरी बात इन भाईयों ने कही कि पहले जब यह फंड 75 लाख का था, तो अब इसे 3 करोड़ क्यों किया जा रहा है। इसका भी मैं इन्हें जवाब दे देता हूं। नया–नया जब हरियाणा बना तो यह ख्याल मन में आता था कि भाायद मुलाजमिन की भी तनख्वाह दे सकेंगे यह नही। हमने तेजी से तरक्की की और बाद में इस फंड को एक करोड़ कर दिया। आय यदि हम 1966 के हरियाणा का 1974 के हरियाणा से मुकाबला करें तो पता लगेगा कि कितनी डिवैल्पमैंट हुई है। आज इस डिवैल्पमैंट को देखकर सब का मुंह बन्द हो जाता है। हम यहीं बस नही कर रहे है, हम तो और आगे बढ़ने का तहैया किए हुए है। इसके लिए कई बार हमें अमरजैन्ट वर्कस के लिए रूपए की जरूरत पड़ती है। इसीलिए

इस कन्टीजैंसी फंड को एक करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया जा रहा हैं इसका बजट पर कोई असर नही होता। कंटीजैंसी फंड तो जैसा मैंने अभी अभी कहा इसलिए होता है कि यहद कभी किसी जरूरी काम के लिए रूपए की जरूरत पड़े तो इसमे से ले लिया जाए और बाद मे असैम्बली से उतने अमांउन्ट की स्वीकृति लेकर उतना ही रूपया उसमे डाल दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इतनी छोटी सी चीज का ही इन्होने पहाड़ बना दिया। इसमें तो कोई ऐसी बात थी ही नही। तो मै निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the Hosue will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the BIll.

The motion was carried.

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mittal): Madam, I beg to move-

That the Haryana Contigency Fund (Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Contingency Fund (Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryan Contingency Fund (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब होम्योपैथिक प्रैक्टि ानर्ज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1974

Industies Minister (Shri Harpal Singh): Madam, I beg to introduce the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 1974.

Madam, I also beg to move-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into condideration at once.

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वांयट आफ आर्डर। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस संबंध में एक आर्डिनैन्स जारी हुआ है....

उपाध्यक्षाः राम लाल जी, अपनी स्पीच में भी तो आप यह बात कह सकते है।

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहिबा, आर्डिनैन्स पहले हुआ है। मैंने उसकी डिसऐप्रूवल के लिए लिखा है। जब तक मैं मो ान मूव नही करूंगा ये पहले कैसे अपनी मो ान मूव कर सकते है?

उपाध्यक्षाः आपकी मो ान डिस्अलाऊ हो गई है। यह ठीक नही थी।

चौधरी राम लाल वधवाः उसी के बारे में प्वांयट आफ आर्डर मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हू। आप मेरी प्रार्थना को सूनिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने डिसएप्रूवल की मो ान दी थी, लेकिन अभी अभी मुझे चिट्ठी दी गई है कि वह डिसअलाऊ हो गई है। रीजन यह दिया गया है। कि तीन दिन कानोटिस नही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, नोटिस मैं कहां से लांऊ?

Rule 168 reads-

"(1) As soon as possible, after the Governor has promulgated an Ordinance under Article 213 (1) of the constitution, copies of the Ordinance shall be made available to the Member."

तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंबर्ज को जब कापियां जाएंगी तभी तो वे कुछ लिखकर भेज सकेंगे। जिस दिन मुझे कापी मिली थी, उसी दिन मैंने लिख भेजां इन हालात मे मैं कहां से तीन दिन का नोटिस लाऊं? गवर्नमैंट तो भााम कापी दे और दूसरे दिन बिल ले आए तो नोटिस कैसे दिया जा सकता है?

उपाध्यक्षाः आर्डिनैन्स काफी पहले हो चुका है।

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, डाक में जिस दिन मुझे कापी गई, उसी दिन मैने मो ान भेज दी थी। आप अपने सैक्रेटेरिएट के रिकार्ड को देख लें।

उपाध्यक्षा: यह पब्लि ा पहले हो चुका है। I disallow your point of order.

Motion moved-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into condideration at once.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be taken into condideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Industries Minister (Shri Harpal Singh): Madam, I beg to move-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Homoeopathic Practitioners (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा पब्लिक वक्फस (ऐक्सटैं ान आफ लिमिटे ान) बिल, 1974

Finance Minister: (Sh. Ram SaranChand Mittal): Madam, I beg to introduce the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, 1974.

I also be to move—

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill, be taken into consideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मै। ''दी हरियाणा पब्लिक वक्फस (ऐ क्सटैन् ा आफ लिमिटे ान) बिल'' का विरोध करता हूं। उसका एक कारण यह है कि इसके स्टेटमैंट आफर आब्जैक्टस ऐंड रीजन्ज में यह लिखा हुआ है—

"Following the partition of the country in August, 1947 a number of Wakf Properties passed into unauthorised hands and the persons in charge of these properties could not institute civil proceedings for the recovery of the prossession

in respect of all such properties. Under the present Low, the title of the true owners would be extinguished if the proeprties remain in adverse possession for twelve years or more. In spite of extension of Limitation for institution of such suits upto the 31st December, 1970 by the Central Government there were large number of properties regardint which suits could bot be instituted. thereafter the State of Haryana extended the limitation for instituion of suits upto 31st December, 1971, wide 'The Public Wakfs (Extension fo Limitation), Haryana Amendment Act 1971' (Act No. 22 fo 1971) by issuing notification in that regard on 11th August, 1971 but due to non-publicaiton of full data of Wakf properties by the Government of India and shortage of time the civil suits in respect of all illegally occupied Wokf properties could not be instituted. In order to enable further the Wakf Board and other intersted persons to institute such suits, the Limitation is proposed to be extended up to 31st December, 1975."

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल में बार बार लिमिटै ान एक्सटैन्ट करना सरकार के लिए उचित नही है, इसके पीछे बैकग्राऊंड क्या है, वह मैं यहां पर बताना चाहता हूं सन् 1947 में जब हिन्दुस्तान का पार्टी ान हुआ, जो भाई पाकिस्तान से उजड़ कर अपनी सारी जायदाद छोड़कर, सब कुछ बरबाद करके यहां आए थे, उन्होंने यहां आकर अपने जीवन निर्वाह के लिए अपना जीवन बिताने के लिए जो भी खाली जगह देखी, वहीं पर अपने रहने के लिए स्थान बना लिया या अपना कुछ छोटा–मोटा कारोबार आरम्भ कर दिया। मैं यह मानता हूं कि उस जमीन में कुछ वक्फ की भी जमीन थी। आखिर किसी भी चीज की

लिमिटे ान होती है। 27 साल से वे बेचारे अपने घर बना कर बैठे है, या अपना कुछ कारोबार करके बैठे हुए है। उन पर आज यह सरकार फिर से यह लिमिट बढ़ा रही है कि उनके खिलाफ केस हो सकते है। वह डैट 31 दिसम्बर, 1975 तक कर रहे है। कुछ तो जायत बात होनी चाहिए। आखिर किसी भी चीज की हद होती है। मैं समझता हूं कि अब तक जितना टाईम दिया गया है, वह सफीि ाऐंट था। उनके पास पहले भी सारा रिकार्ड था। इंस्टीच्यू ान थे, सारी इनफर्मे ान थी, फिर भी उनकी अपनी गफलत की वजह से डिसपोजैस नही हो सके तो आज 27 साल बाद उनके लिए फिर नए सिरे से पाकिस्तान खड़ा करना कौन सी अकल की बात है। यह बिल्कुल गलत किया जा रहा है। मैं बड़ी सख्ती से इस बिल का विरोध करता हूं और सरकार से अपील करूंगा कि उन लोगों के इंट्रैस्ट को भी सामने रखें जो 27 साल से अपने घरों को छोड़कर यहां आए हुए है और एक छोट–छोटे टुकड़ों पर अपने घर बना कर बैठे है या अपना जीवन निर्वाह के लिए कोई कारोबार कर रहे है। उनको वहां से उखाड़ना उनके साथ बड़ा भारी अन्याय करना है। हरियाणा असैम्बली में इस प्रकार का बिल लाना बहुत ही गलत हैं मैं इस का बड़ी सख्ती के साथ विरोध करता हूं और सदन को यह बताना चाहताह हूं कि इस लाइन को ऐक्सटैंड करना ही न समझ लिया जाए, बल्कि इसके पीछे जो भावना है, उसको भी समझना चाहिए। जो लोग ऐसी जगहों पर बैठे हुए है, उनसे कुछ पैसा लिया जा सकता है। हरियाणा असैम्बली में सरकार की ओर से कोई ऐसा बिल लाया

जाना चाहिए कि उनके कब्ले को रैगुलैराइज किया जा सके। रैगुलराइज करने के लिए उसके बदले मे उसको कुछ कम्पनसे ान दिलवाया जा सकता या कोई और तजवीज हो सकती है तो वह निकाली जानी चाहिए। लोगों को इस तरह से उखाड़ना उचित नही हैं मैं यह मानता हूं कि जिनकी प्रापर्टी है, उनको देना भी जरूरी है, लेकिन कोई इस किस्म का बिल आना चाहिए जससे उनका भी भला हो जाएं ऐसे बिल का मैं स्वागत करूंगा लेकिन इस तरह से उनको एक लाईसैंस दे देना कि जब तक चाहे तब तक उनको उखाड़ते रहे, यह उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते रहे, और वे बेचारे सिविल सूट करते रहे, सालों तक लड़ते रहे, जो कुछ उन्होंने कमाया है, वह इन मुकद्दमों मे खर्च करते रहे, तो यह उनके साथ अन्याय करना ही होगा इन भाब्दों के साथ मैं इस बिल का सख्त विरोध करता हूं।

चौधरी अब्दूर रजाक खां (फिरोजपुर झिरका) : मोहतरिमा डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार की तरफ से ''दी हरियाणा पब्लिक वक्फस (एक्सटैन् ान आफ लिमिटे ान) बिल'' पे ा हुआ है। यह बहुत ही अच्छा बिल है। बहुत ही अच्छा बिल हैं बहुत ही काबले तारीफ है। मेरे भाई राम लाल जी ने इसकी मुखालफित की है। उनकों इस बात का पता नही कि इसके पीछे क्या सैन्स काम कर रही है। जिन मुसलमान भाईयों ने वक्फस को अपनी कमाई में से , अपनी जायदाद में से खैराती कामों के लिए, बेवाओं के लिए, यतीमों की इमदाद के लिए जायदादे दी है, उन

पर आज लोगों का नाजायज तौर पर कब्जा हैं उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई मे से जायदादें वक्फ को दी थी। इससे गरीब मोहताज, यतीम लोग तालीम भी पाते थे और गुजारा भी करते थे। जिस तरह आज से सरकार 'ओल्ड ऐज' पैन् ान देती हे, उसी तरह से इफरादी तौर पर मुसलमानों ने भी अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा काट कर गरीबों, यतीमों की मदद के लिए यह एक अदायरा कायम किया था। इस तरह का अदायरा खाली हरियाणा स्टेट में ही नही है, बल्कि हिन्दुस्तान के हर हिस्से में और दुनियां के हर मुल्क में इस तरह से अदायरे कायम किए गए थे। अगर इस तरह की जायदादों पर किसी एक आदमी का कब्जा हो जाए,तो यह इन्सानियत और समाज के लिए बड़ी मुजिर बात है। जब ऐसी जायदाद पर बहुत देर तक किसी आदमी का नाजायज कब्जा रहता है तो मुसलमानों ने दिलों में, दिमाग में एक नफरत पनपती रहती है। मैं बड़े खुले तौर पर यह बात कहता हूं। ऐसी जायदादों पर किसी आदमी का कब्जा होना मुल्क ओर कौम दोनो के लिए बड़ी भार्मनाक बात है। मै तो यह बात कहूंगा कि दिसम्बर, 1975 तक इस मियाद को बढ़ाकर बड़ा अच्छा का किया गया है। मैं सरकार का भाुक्रियां अदा करता हूं, लेकिन एक बात यह भी कहूगां कि इसकी मियाद को खुला छोड़ दिया जाए और हरियाणा सरकार की तकलीद में सारा पंजाब, सारा हिमाचल और राजस्थान जहां–जहां से भी मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान गए है उन सब की ऐसी जायदादों को सैंट्रल गवर्नमैंट अपनी जिम्मेदारी से मुकदमात की खुली छूट दें दे।

जैसा कि आपकों मालूम होगा कि वक्तन/फवक्तन यहां पर कम्यूनल राइटस ओर डिस्टवैंसिज होते रहते है, जो मुल्क को कमजोर करते है। मेरे भाई राम लाल जी ने इसकी बैकग्राऊंड को पढ़ा नही। उन्होंने दो–चार भाईयों की मदद के लिए यह सब कुछ कह दिया। जो भाई पाकिस्तान से आए थे, उनकी तो हमारी सैन्ट्रल गवर्नमैंट ने इतनी मदद की है, जिसके बारे मे कुछ कहा नही जा सकता। भारत सरकार ने उनकी हलफिया ब्यानों पर उनके क्लेम मंजूर कर लिए। ऐसे वाक्यात भी है, कि जो भाई पाकिस्तान में मजदूरी का काम करते थे, वे आज बड़े–बड़े जमींदार बने बैठे है। बड़े–बड़े तिजारत के पे ो कर रहे है। बड़ी–बड़ी जायदादों पर कब्जा किए हुए बैठे है। सरकार ने बड़ी फराखदिली से उनकी मदद की है। जब ये लोग पाकिस्तान से आएं थे, तो मुल्क के हर बच्चे ने उनको गोद मे बैठाया। हर भाई ने उनके साथ हमदर्दी की। इस बारे मे तो मैं यह कहूंगा कि ऐसी जायदाद जिन पर नाजायज जौर पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वह गलती से किया हुआ है, उनको छोड़ देना चाहिए। इस बारे मे मैं हिन्द सरकार से भी निवेदन करूंगा कि उन्हें कोई आल्टरनेटिव होल्डिंग दे दे, उनको उसका मुआवजा दे दे। ऐसा करने से दो भाईयों मं आपस में मिलाप पैदा होगा। इस काम के लिए चाहे सैन्ट्रल गवर्नमैंट को करोड़ों रूपया खर्च करना पड, जरूर करना चाहिए। हरियाणा सरकार को भी ऐसे कामों के लिए रूपया देना पड़े तो भी उसको दे देना चाहिए। इस तरह से देने में अमन पैदा होगा, मुहब्बत पैदा होगी। हरियाणा सरकार के लिए भी यह बड़ी

भार्मनाक बात है और हरियाणा सरकार पर एक कलंक लगा हुआ है। इस कांग्रेस की सरकार से पहले भी हरियाणा मे जनसंघ की सरकार रही है, जिसको संयुक्त विधायक दल की सरकार से पहले भी हरियाणा सरकार पर कलंक लगा हुआ है। इस कांग्रेस विधायक दल की सरकार कहा जाता था। इस संयुक्त विधायक दल की सरकार से पहले भी यहां कांग्रेस की सरकार रही है, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, सैन्ट्रल गवर्नमैंट में भी कांग्रेस की सरकार है। सभी सरकारों पर यह बड़ा ाारी कलंक लगा हुआ है कि मुसलमानों की इबादतगाहों पर मवे ाी बांधे जाएं क्या इनके बनाने का यही मं ाा था। इस हाउस के मोहतरिम मैंबर साहिबान बड़े गौर से सोचें, विचार करें और बड़ी दूर अन्दे ाी से काम ले, क्या ये मस्जिदें मवे ियों के इस्तेमाल के लिए बनी हुई है ? मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर यही हालत पाकिस्तान में है तो उनको भी मैं बुरी नजर से देखता हूं। अगर किसी हिन्दु की इबादतगाह का बुरा इस्तेमाल हो रहा है, तो वे भी लानत के काबिल है। मैं उनकी भी मुलामत करता हूं। उन पर भी यह कलंक है। जो इस तरह से जायदादों पर कब्जा किए हुए है, उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए। उनको इसके बदले में कोई और जगह दे देनी चाहिए। हमें उनके लिए अगर कोई कालोनी बनानी पड़े और उस पर कितना ही सरमाया खच्र करना पड़े, जरूर खर्च करना चाहिए और इस तरह की अव य कोई कालोनी बनानी चाहिए। उनको जरूर जगह दी जानी चाहिए औरउनको आबाद किया जाना चाहिए।

बहुत से लोग यहां पर बैठे है, उन्होंने बहुत सी जगहों पर देखा होगा कि मस्जिदों, पर इबादतगाहों पर और कब्रिस्तानों पर लोग सीनाजोरी से कब्जा जमाए हुए हैं वे मेरी इस बात मे हिमायत करेंगे कि कब्रिस्तान पर जबरन हल चलाया जाता है। यह सारी ढील जो है, यह सरकार की है। सरकार को इस बारे मे तवज्जुह देनी चाहिए। इस बात की वजह से हिन्दुस्तान के सारे मुसलमान दुःखी है, कि न कब्रिस्तानों पर जिसमें मुसलमान अपने बुजुर्गो को.....

लाला रूलिया रामः मै यह कहना.....

उपाध्यक्षाः रूलिया राम जी, आप किस चीज पर खड़े हुए है? क्या आपका प्वांयट आफ आर्डर है ? ––(व्यवधान)––

लाला रूलिया रामः हां जी, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो यह कहा है कि कब्रिस्तान पर जबरदस्ती हल चलाया जाता है इसमें हरियाणा सरकार का क्या ताल्लुक है ? यह तो वक्फ बोर्ड के अन्डर है। हरियाणा गवर्नमैंट के अन्डर नही है।––(ाोर)––

उपाध्यक्षाः जिस तरह से आपने बीच मे यह कहा है, ऐसा नही होना चाहिए। अगर आप बोलना ही चाहते है, तो इन्हे बोल लेने दीजिए, उसके बाद बोलिए।

चौधरी अब्दुर रजाक खांः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैने यह बात हाउस मे इसलिए अर्ज की है, क्योकि तमाम मैंबरान इस

बात पर विचार करेंगे और सरकार को इस बात का म वरा देंगे कि किसी भी मजहबी जायदाद पर किसी एक जमात का या किसी एक आदमी का बिला वजह कब्जा नही होना चाहिए। हमारी इबादतगाहों पर या कब्रिस्तानों पर दूसरों का कब्जा हो, इस बात का हमें बड़ा दुःख है। हर मुसलमान इस बात से दुःखी है कि आइनी तौर पर तो हमारे हकूक की हिफाजत की गारंटी दी हुई है, लेकिन अमली तौर पर नही हैं बड़ास दुख होता है जब किसी केस के सिलसिले मे हम मैजिस्ट्रेट साहब को मौके पर कहते है कि यह मस्जिद नही, बल्कि मस्जिदनुमा मकान है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़े दुःख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि वह जनसंघी दिमाग का मैजिस्ट्रेट अदालत मे बैठने के काबिल नही है। उन्हे कुर्सी पर बैठ कर इन्साफ करना चाहिए ओरजो असलियत है, उसको मानना चाहिए। इस बारे मे ऐसी–ऐसी मिसालें है, जिनकी वजह से हम परे ाान है। हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और सैंट्रल सरकार अगर इस बारे में हमदर्दी के साथ गौर नही करेगी तो यकीनन हम बड़े दुःख के साथ वक्तन–फवक्तन अपनी बात उन्हें कहते रहेगे। तमाम मैंबरान को चाहिए कि वे सरकारो को इस बात के लिए आमादा करैं कि वे हमारी परे ाानी दूर करे। हमे मुलाजमत या दूसरी रियायतें जो सरकार देती है, नही चाहिएं । जब हम मुलाजमत के काबिले होंगें, वह तो हमे मिल ही जाएंगों लेकिन हमे मजहबी आजदी के सिलसिले मे पूरी प्रोटैक ान देनी चाहिए। इस बारे मे कदम उठाने के लिए कुछ हिस्सा हरियाणा सरकार ने भाुरू किया है। मैं इस पर उसे

बे–मुबारिकबाद देता हूं। उन्होंने लिमिट को एक साल बढ़ाया है इतना ही नही मैं तो यह कहूंगा कि इसको खुला छोड़ा जाना चाहिए।

उपाध्यक्षाः आप रैपीटी ान न करे।

चौधरी अब्दुर रजाक खांः बहुत अच्छा जीं मेरा कहना यह है कि इस टाईम को खुला छोड़ दिया जाए। बहुत सी जायदादों के म्यूनिसिपल कमेटी मे नक ो बदल गएं ज्यो–ज्यों इस बारे मे वक्फ बोर्ड को मालूम हो रहा है, वह उसके बारे मे कागजात तैयार करके सिविज सूट किए जाएंगें मैं यह चाहता हूं कि हरियाणा सरकारर, पंजाब सरकार को और सैन्ट्रल सरकार को यह रिक्मैंडे ान भेजे कि इस टाईम की पाबन्दी को खेला छोड़ देना चाहिएं

चौधरी दलसिंह (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो बिल पे ा किया गया है, मै किसी हद तक इसकी ताईद करता हूं, इस सूरत मे कि जिन इबादतगाहों पर या जो मुसलमानों की दूसरी वर ाप की जगहे है, किसी का नाजायज कब्जा हो, यहा जहां पर डंगर बांधे जाते है या और कोई गलत काम किए जाते है उनको वाकई खाली कराना चाहिए। मेरे मोहतरिम दोस्त रजाक जी ने बार–बार हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद की पे ाक ा की । मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि पिछले 27 सालों से यही कांग्रेस की सरकार है और यही सरकार सैंटर मे हैं लेकिन आज

तक आपके दर्द का इलाज नही कर सकी। ––(व्यवधान और भाोर)––

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): इसमे आप भी बहुत सालों तक भाामिल रहे है।

चौधरी दलसिंह: घबराओं नही, जल्दी ही पता कटने वाला है। इस गलतफहमी मे न रहों कि चलते रहेंगे–जय प्रका ा आ रहा है। आवाज लगाता आ रहा है। फिक्र न करो। (व्यवधान व भाोर)––

श्री बनारसी दास गुप्ता : मै तो यह कहता हूं कि 27 साल मे से 22 साल आप भी कांग्रेस मे रही है।

Deputy Speaker: No interruptions please.

Chaudhri Dal Singh: Ask him not to interrupt me. When I am speaking, he should not interrupt. मै यह अर्ज कर रहा था कि उनको यह गलत फहमी हो गई है कि सरकार मुबारिकबाद के काबिल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगोंन ने गलत फहमी से या जानबूझकर मकान बना लिए है या नाजायज कब्जा कर लिया है, उनको भी कम्पनसेट करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग वैस्ट पाकिस्तान से बरबाद होकर यहां आए है, उनके साथ हमदर्दी करना हमारा बाहिद फर्ज है। हमें जो आजादी मिली, वह यहां के लोगों की बदौलत नही, बल्कि ज्यादातर उन लोगों की बदौलत है जो अपना सब कुछ खोकर

किसी का भाई गया, किसी की बहिन चली गई और जो अपना सब कुछ वहां छोड़कर यहां आए। आज सरकार इस किस्म की आड़ लेकर उनको उजाड़ना चाहे और किसी कम्यूनिटी को खु ा करना चाहे, तो मैं इससे इत्तफाक नही कर सकता। मै इतना ही कहना चाहता हूं कि मुसलमानों के इबादत के अदायरे उन्हें मिलने चाहिए और इसके लिए कोई टाईम की पाबन्दी नही होनी चाहिए। यह सरकार जो सुबह से भााम तक जुल्म करती है, अगर इस तारीख को खुला छोड़ दे ताकि जब भी हो सके इन्हे खाली कराये, तो यह एक अच्छी बात है। इस परहमे कोई एतराज नही है, मगर सरकार का दिल साफ होना चाहिए। मैं सरकार से पुरजोर अपील करूंगा कि सरकार मस्जिदों, इबादतगाहों को खाली कराए क्योंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी हिफाजत करे, चाहे इसमे कोई टाईम की लिमिट न हो। इन अलफाज के साथ मैं आपका भाुक्रियां अदा करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चंद मित्तल): मैडम, मुझे इस बात की खु ाी है कि कम से कम अपोजी ान के कई महानुभाव है, जिन्होंने कुछ हद तक इस बिल की ताईद की है। दरअसल जब हमारे यहां से इवैक्यूए ान हुआ तो दो तरह की प्रोपर्टीज रही। एक है सैकुलर प्रोपर्टीज जिनमे निजी मलकियत है दूसरी है सैक्रेड। अगर दूसरी किस्म की प्रोपर्टीज का वक्फ तौर पर ट्रस्ट बनाकर प्रबन्ध किया जाए, तो उनका सैक्रेड कैरेक्टर रह जाता हैं जहां तक प्राइवेट प्रोपर्टीज का ताल्लुक है, उसके लिए वक्फ से

कोई ताल्लुक नही है। इसके लिए लिमिटे ान या ऐक्सटैन्ा ान का कोई सवाल नही है। लेकिन जहां तक उन सैक्रेड करैक्टर की प्रोपर्टीज का ताल्लुक है, उस प्रोपर्टी के लिए सब को रिस्पैक्ट करनी चाहिए और इसी ख्याल से हमारी गवर्नमैंट ने इस बात का फैसला किया है कि चाहे किसी की गलती से, किसी प्रोसीजरकी गलती से या किसी और वजह से नाजायज कब्जे मे हो, तो उनको एक मौका देना चाहिए कि वे रैक्टोर हो जाए। इसी नीयत से यह बिल लाया गया हैं मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि इसको पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be taken into condideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (2) of clause 1stand part of the Bill.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was arried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That sub-clause (2) of clause 1stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That enacting formula be the enacting formulaof the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to move-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is-

That the Haryana Public Wakfs (Extension of Limitation) Bill be passed.

The motion was carried.

दी पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल 1974

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्ष महोदया, मैं पंजाब नगर सुधार (हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक, 1974 पुरःस्थापित करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि पंजाब नगर सुधार (हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Second Amendment) Bill be taken into condideration at once.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): डिप्टी स्पीकर साहिबा, दी पंजाब टाउन इम्प्रूवमैंट (हरियाणा सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1974 सदन के सामने प्रस्तुत है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके नीचे पहले सरकार ने क्या किया कि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की जो कांस्टीच्यू ान थी, उसके अन्दर तीन मैंबर्ज लोकल बॉडीज के नीचे आया करते थे, ती मैंबर्ज सरकारी हुआ करते थे औरएक चेयरमैन नोमिनेटिड होता था। इस प्रकार चार आदमी सरकार के नोमिनेटिड होते थे और उन चार की मैजोरिटी होती थी, लेकिन इसके बावजूद पिछली बार सदन के अन्दर सरकार यह बिल ले आई कि जो पब्लिक के नुमांइदे होंगे, जो जनता के चुने हुए नुमाइंदे होंगे, वे तीन की बजाय दो कर दिये गए और सरकारी मैंबर्ज चार की बजाय पांच कर दिए गए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम प्रजातन्त्र के अन्दर रहते है। हम जम्हूरियत के अन्दर रहते है, लेकिन चुने हुए नुमांइदों की संख्या तीन की बजाय दो कर दी गई। पब्लिक के नुमांइदे जो वहां बैठकर काम करते थे, जिनकों प्रोपर्टी के बारे में और भाहरों में क्या हो रहा है, इस सब की जानकारी होती थी ओर इस जानकारी के आधार पर वे काम करते थे लेकिन सरकार को यह बात पसन्द नही आई औरसरकार एक अमैंडिंग बिल ले आई और उसे यहां स्वीकार कर लिया गया और एक प्रिलिमनरी इम्प्रूवमैंट स्कीम बना दी। उस स्कीम के अनुसार

इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट फैसला करता था, लेकिन ऐक्चूअल वर्किंग उसके बाद भुरू होती थी। लैण्ड होती थी। लैंड ऐक्वीजी ान ऐक्ट के अन्दर जिसकी जायदाद ली जाती थी, वह कलैक्टर के पास जाकर क्लेम देता है कि मेरी जायदाद इतने की थी और मुझे इतना मुआवजा मिलना चाहिए। क्योकि इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट मे सरकार की मैजारिटी थी इसलिए जोभी वे चाहे, पास कर देते है और कहते है कि हम खुद इतना ही असैस करते है और वह आदमी कलैक्टर के पास जाकर रीप्रैजैंटे ान करता है वहां पे ा होता हैफ जो वहां पर लेंड ऐक्वीजी ान आफिसर का काम करता है। वह या तो डिस्ट्रिक्अ मैजिस्ट्रेट, याह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नीचे एस.डी.एम. जनरल अस्सिटैंट या जिसको भी सरकार पावर डेलीगेट करता है, वह होता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सरकार ने राईट आफ प्रोपर्टी का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या करते है कि हम इस प्रकार के सं ाोधन ले आते हैं कि लोगों को न्याय लेने के अन्दर कठिनाई हो। बल्कि मैं तो कहूगां कि ऐसा कर दिया है, कि उसको न्याय मिले ही नही। पिछले दो, चार या पांच साल के अन्दर ऐग्जैक्टिव की इस प्रकार कीद मनोवृति बनती जा रही है कि सरकार के अन्दर जो बैठे है, जो कुछ वे सोचते है समझते है या जो कुछ वे करते है, वही ठीक है। इनके सिवा संसार के अन्दर जो लोग रहते है उनको कोई अकल नही है। जो कीमत उन्होंने लगादी वही ठीक है। डिप्टी स्पीकर महोदया, पार्लियामैंट्री डैमोक्रेसी इस प्रकार की इजाजत नही देतीं इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के नीचे बैठने वाला आदमी जायदाद की कीमत मुकरर्र

कर देता है अब जिस आदमी की जायदाद ली गई है उसके पास न्याय लेने का एक ही तरीका था और वह ट्रिब्यनल था। उस ट्रिब्यूनल कांस्टीच्यू ान में एक पब्लिक का नुमाइंदा लोकल बाडीज से होता था और एक गवर्नमैंट नोमिनेट करती थी और डिस्ट्रक्ट ऐंड सै ानज जज उस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होता था। कम से कम उस आदमी को इस बात की संतुश्टि थी कि गवर्नमैंट के मैंबरों ने मैजारिटी मे रहकर जो कुछ कर लिया, कलैक्टर ने जो कीमत मुकरर्र कर दी उसके बारे मे सुनवाई करने के लिए तो कोई था। अब सरकार उसको भी समाप्त करने जा रही हैं पहले जो सब क्लाज 2 थी और जो अब सब क्लाज 2 करने जा रहे है मै उसको पढ़ देता हूं–

"For sub-section (2) of section 60 of the Public Town Improvement Act, 1922 (hereinafter referred to as the principal Act), the following sub-section shall be substituted namely—

" (2) The President of the toribunal shallbe a person,

(a) who is quilified for appintment as a Judge of the High Court of Punjab and Haryana;"

डिप्टी स्पीकर महोदया, पहले इतना ही था कि डिस्ट्रिक्ट जज ही हो सकता था/अब इसके अन्दर 'बी' और 'बी' सब–क्लाजिज और ऐड कर दी है उनमे लिख है–

(a) who has held the office of a Collector for a period of ten years; or

(b) who is serving or has served as a District Magistrate."

तो मैं कहता हूं कि इस तरीके से क्लाज लिखकर इस तरह से लोगों को और मूर्ख बनाने की क्या जरूरत है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कितनी हैरानी की बात है कि वही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलैक्टर तो उस जायदाद की कीमत मुकरर्र करता है और वही कलैक्टर उस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होगा और इस बात का फैसला करेगा कि उस बेचारे के साथ न्याय हुआ है या अन्याय हुआ है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, हम पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी के अन्दर रहते है। एग्जैक्टिव अपना काम करती है और जुडीि ायरी अपना काम करती है। सारी ताकत एक हाथ मे लेकर आज इंडिया के अन्दर डैमोक्रेटिक डिक्टेटरि ाप की मनोवृत्ति बढती जा रही है और पार्लियामैंटरी डैमाक्रेसी खत्म होती जा रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा पहले था, उसके रहने मे क्या आपत्ति थी। पहले डिस्ट्रिक्ट ऐंड सै ानज जज ट्रिब्यूनल का चेयरमैन होता था। उससे क्या तकलीफ थी ? मुझे यह बात समझ नही आती कि उसने रहने मे क्या आपत्ति थी। सरकार जुडीि ायरी पर क्यों खर्चा करती हे अगर जुडीि ायरी पर सरकार को फेथ नही है। अगर सारा काम एग्जैक्टिव ने ही करना है तो जुडीि ायरी की क्या जरूरत है ? इसलिए मै इसका विरोध करता हूं।

इसके बाद इन्होंने एक बड़ी ही खूबसूरत बात और लिख दीं पहले तो यह किया कि जुडि ियरी के हाथ से चेयरमैन ि ाप लेकर एग्जैक्टिव को दे दी और फिर यह कर रहे है कि ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बगैर असैसर्ज के भी ऐवीडैन्स रिकार्ड कर लिया करेगां इस तरह से अब यह होगा कि सरकारी अफसर एक कमरे मे बैठकर इम्प्रूवमैंट की स्कीम बनाएंगे। लैण्ड ऐक्वीजी ान एक्ट के अन्दर किसी की जायदाद की जितनी मर्जी होगी, वह कीमत मुकरर्र कर देगे और जो मर्जी होगी, उसकी झोली मे ंडाल देंगे। यह कोई डैमोक्रेसी आ नही सकता। मै इसका पुरजोर विरोध करता हूं और सदन से कहूंगा कि इसको स्वीकार न करे।

चौधरी दलसिंह (जींद): डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस बिल के संबधं में माननीय सदस्य श्री राम लाल ने बिल्कुल ठीक कहा है जो कुछ उन्होंने कहा है, मै उसका समर्थन करता है। इस बिल के पीछे जो भावना है, यह जाहिर करती है कि हरियाणा की सरकार का कम से कम जुडीि ियरी से तो बिल्कुल वि वास उठ चुका है और इसलिए हर बात के अन्दर एग्जैक्टिव को पावर दी जा रही हैं पिछले सै ान के अन्दर किराया कानून मे तरमीम के वक्त एस.डी. एम. को अख्तियारात दे दिए गए। आज यह ट्रिब्यूनल का चेयसरमैन ऐसे व्यक्ति को बनाने जा रहे हे जो ऐग्जैक्टिव से संबंध रखता है। इसका मतलब यह है कि हरियाणा सरकार जुडीि ियरी से अधिकार छीनकर ऐग्जैक्टिव को देने जा रही है।

यह सरकार किसी को फायदा करना चाहती है या किसी का नुक्सान करना चाहती है उसी किस्म के बिल हाउस मे ले आती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के बिल हाउस मे पे ा करना प्रजातंत्र के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। हम प्रजातन्त्र के अन्दर वि वास रखते है और इस तरह के बिल लाना प्रजातन्त्र के साथ एक मजाक है। इसलिए मै इसका विरोध करता हूं।

हम देखते है कि नगरों मे काफी गंदगी है और ट्रस्टो के पास कोई खास फंडज भी नही है। मै तो यह समझती हूं कि जिस भी आदमी को, किसी काम के लिए लगाया जाए, उसके दिमाग मे कम से कम प्रोडक ान का ख्याल जरूर हो। अगर हम कोई जौव क्रिएट करते है किसी नगर मे या किसी गांव मे, तो कम से कम वह प्रोडक ान ओरिऐटिड हो। यह न होंकि हम सिर्फ वजीफे ही देते रहे। यह तो ठीक है कि सरकार को इस तरह के काम भी करने पड़ जाते है लेकिन इस वजह से हमारी प्रोडक ान कम होती जा रही है और हम किसी भी तरह से भलाई का काम नही कर पा रहे है। अगर हम इसी तरह से वजीफे देते रहेंगे तो प्रोडक ान नही होगी और सरकार भालाइ का काम नही कर सकेगी। यह जो हमारे सामन बिल है मैं मानती हूं कि यह इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों में ट्रिब्यूनल अप्वायंट करने के लिए है इसके बावजूद भी मै बताना चाहती हूं कि हरियाणा के जो फंडज है, उनकों लोगों को वजीफा देने के लिए खच्र नही किया जाना

चाहिए। जिस मकसद के लिए हमने इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाए है, कम से कम वह मकसद हमारा जरूर पूरा होना चाहिए। धन्यवाद।

सिंचाई एंव विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): उपाध्यक्षा महोदया, इस ऐक्ट के अन्दर बहुत साधारण सा सं ाोधन है और पूरी तरह से यह वाजा कर दिया गया है कि क्यों यह सं ाोधन लाया जा रहा हैं, हमारे कई दोस्तों ने, इस सं ाोधन की आड़ मे बड़ी लम्बी चौड़ी बाते कही है। लोकतंत्र को भी इससे खतरा बतला दिया, और जो जुडीि ायरी है, उसके खिलाफ भी अवि वास की बात कह दी। उपाध्यक्ष महोदया, मै आपकी मार्फत सदन को यह वि वास दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार की ऐसी कोई भावना इस सं ाोधन के पीछे नही है। पहले बिल के अन्दर इतना दर्ज है कि जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति ही इस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया जा सकता है और इस धारा के तहत हमने हरियाणा के अन्दर इस ट्रिबयूनल का चेयरमैन बनाया हुआ था, लेकिन आप जानते है कि सै ान जज के पास कितना भारी काम होता है। इतना काम उनके पास होता है। ऐक्वीजी ान के खिलाफ, कीमतो के खिलाफ इतनी अपीले इनके पास होती है कि उनके सुनने का नम्बर बड़ी देर बाद आता है, जिससे विकास के जो कार्य है, सालों तक रूके रहते है। तो इससे विकास के कार्यो के अन्दर भारी बाधा पड़ती थी। इसलिए सरकार ने अब यह उचित समझा कि इस अदायरे को केवल यहां तक ही सीमित न रखा

जाए, बल्कि और ज्यादा विस्तृत कर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदया, पहले यह था कि हाई कोर्ट के जज की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को ही उसका चेयरमैन बनाया जाए, लेकिन अब सं ाोधन यह है कि जिस व्यक्ति को 10 साल का कलैक्टर का तजुर्बा हो, उसको भी चेयरमैन बनाया जा सकता है। मै आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं कि जो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्टेटस का है, यदि उसको चेयरमैन बना दिया जाए, तो इसका मतलब यह नही होगा कि इससे न्याय विभाग के ऊपर से वि वास उठ जाएगां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी एक न्यायाधी ा माना जाता है। उसका भी स्टेटस ऐसा हैं उसके पास भी पावर्ज है, जोकि जुडीि ायल अफसर के पास होती है। तो मेरे ख्याल मे इसमे कोई ऐसी बात नही है कि जिस से जुडीि ायरी से हमारा वि वास उठ गया हो या इसमे हम लोकतंत्र के विरूध कोई काम करने जा रहे हो। यह सब बातें जो यहां पर कही गई है, केवल विरोध करने के लिए ही कही गई है। यह सं ाोधन बहुत साधारण सा है और इस दिक्कत को दूर करने के लाया गया है ताकि फैसले जल्द हो जाएं और विकास के कामों मे कोई रोड़ा न अटके। अपाध्यक्ष महोदया, दूसरा एक छोटा सा सं ाोधन और है, वह यह है कि चेयरमैन के साथ जो दो असैसर्ज होते है, अगर वे किसी कारण से मौजूद नही तो भी, चैयरमैंन एवीडैन्स रिकार्ड कर सकता है। आप जानते है कि अर्ससर्ज कोई फैसला नही करते वे तो केवल अपनी राय देते है—(विघ्न)—

चौधरी राम लाल वधवाः डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि यहां बाई मैजोरिटी डिसीजन होता है इसलिए उनका हाजिर रहना जरूरी है।

श्री बनारसी दास गुप्तः उपाध्यक्षा महोदया, यह लीगल बात है, इसिलए मैं ज्यादा इसकी बारीकी मे नही जाना चाहता, लेकिन मै यह अज्र करना चाहता हूं कि हमारे सामने यह कठिनाईयां थी। पहली बात यह है कि सै ान्ज जजिज साहिबान को वक्त नही मिलता और जब कभी उनको वक्त मिलता है और जब सुनवाई की तारीख भी लग जाती है तो फिर असैसर्ज हाजिर नही होते, जिस कारण से काम रूक जाते है। केवल काम को सरल बननाने के लिए, एक तरह से विकास के हित मे, काम के हित में, सं ाोधन लाया जा रहा है, इसके पीछे और किसी प्रकार की कोई भावना नही है, जैसे बहिन चन्द्रावती जी ने कह दिया, सं ाोधन के संबंध में तों बहन चन्द्रावती जी ने एक भी भाब्द नही कहा, हालांकि जो भी सं ाोधन पे ा किया जाए, उस पर ही बोलना चाहिए और भी हमारे आनरेबल मैंबर्ज यहां पर बोले है, लेकिन चन्द्रावती जी ने इस सं ाोधन के बारे में कोई भाब्द नही कहा केवल यही कह दिया कि इम्पूवमैंट ट्रस्ट केवल नौकरियां दिलाने के लिए बनाए गए है। उनके पास कोई फंडज नही हैं मैं बहिन जी को बताना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा के जितने इम्पूवमैंट ट्रस्ट है उनमे ंसे काफी के पास लाखो ंरूपए फंड है औन उन्होने बड़े–बड़े काम कि ए हैं बहिन जी कई बार जी.टी.

रोड़ से आती जाती होंगी। अगर एक बार एक घण्टा भर करनाल में ठहरने का कश्ट करें और करनाल के इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट द्वारा किए गए काम देखें और दूसरे इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट देखें कि उन्होने क्या–क्या काम किए है, तो उन्हे पता लगेगा। कही पर जाकर देख ले। भिवानी में बहुत काम किए हैं रोहतक में किए है यानी ऐसे–ऐसे इम्पूवमैंट ट्रस्ट मौजूद है कि जिनके पास लाखों रूपए के फण्डज है। उन्होने कालोनीज बनाई है, पार्कस बनाए है, मार्कीटस बनाई है, उद्यान और कई प्रकार के स्लम क्लीरैन्स के काम भी किए है। ऐसी बात नही है कि केवन नौकरियां दिलाने के लिए इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट बनाए गए हो। ट्रस्ट होंगे तो वहां पर मैंबर भी होंगे चेयरमैंन भी होंगे। अगर कोई काम करना होगा, तो आदमी भी लगाए जाएंगे। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदया, आपकी मार्फत इस सदन के मैंबर साहिबान से यह प्रार्थना करूंगा कि यह बहूत साधारण सा सं ाोधन है, इसको सर्व सम्मति से पास कर दे।

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Second Amendment) Bill be taken into condideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): उपाध्यक्ष महोदया, मै सं ाोधन प्रस्तुत करता हूं–

कि प्रस्तावित धारा 60 की उप–धारा 2 (क) में 'अर्हित हों' के प चात् 'या' भाब्द जोड़ दिया जाए।

Deputy Speaker: Motion moved-

In proposed sub-section (2) of Section 60, at the end of clause (a) after "Haryana add "or"

Deputy Speaker: Question is-

In proposed sub-section (2) of Section 60, at the end of clause (a) after "Haryana add "or"

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is-

That clause 2 as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is-

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is-

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Encting Formula

Deputy Speaker: Question is-

That the enacting formula be the enacting formula of the Bill.

The motion was carried.

TITLE

Deputy Speaker: Question is-

That title be the title of the Bill.

The motion was carried.

सिंचाई एवं विद्युत मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त): उपाध्यक्ष महोदया, मै प्रस्ताव करता हूं–

कि पंजाब नगर सुधार (हरियाणा द्वितीय सं ाोधन) विधेयक तथा सं ाोधित पारित किया जाए।

Deputy Speaker: Motion moved-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Second Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Question is-

That the Punjab Town Improvement (Haryana Second Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Deputy Speasker: The House stands adjourned till 2.00 P.M. to morrow.

(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Wedensday, the 27th November, 1974).